

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1100]	नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 8, 2019/फाल्गुन 17, 1940
No. 1100]	NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 8, 2019/ PHALGUNA 17, 1940

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मार्च, 2019

विषय : दिल्ली एकीकृत भवन उपविधि (यू.बी.बी.एल.) 2016 में संशोधन

का.आ. 1236(अ).—दिल्ली विकास प्राधिकरण, एतद्द्वारा, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, दिल्ली एकीकृत भवन उपविधि (यू.बी.बी.एल.) 2016 में निम्नलिखित संशोधन करता है।

क्र.सं.	एकीकृत भवन—निर्माण उप—विधि 2016 का अध्याय/ पैरा/खण्ड/उप खण्ड	प्रस्तावित संशोधन	
i	ii	iii	
1	1.4.10 क्षेत्राधिकार संपन्न प्राधिकरण : दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, पूर्वी नगर निगम, पूर्वी नगर निगम, दिल्ली छावनी बोर्ड को आगे प्राधिकरण / संबंधित स्थानीय निकाय कहा गया है ।	नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, उत्तरी नगर निगम, पूर्वी नगर निगम, दिल्ली छावड़ी बोर्ड को आगे	
2	1.4.90 मंच (पोडियम) :— एक उठा हुआ मंच जो किसी एक / बहुस्तरीय पार्किंग के सबसे ऊपर की मंजिल पर बना हो जिसे भू—दृश्यांकन, पौध रोपण, टॉट टॉट, तरण—ताल, डेक, सभा स्थल, आवागमन, बिल्डिंग टॉवर इत्यादि के लिए उपयोग किया जा सके।	1.4.90 मंच (पोडियम) :— एक उठा हुआ मंच जो किसी एक / बहुस्तरीय पार्किंग के सबसे ऊपर की मंजिल पर बना हो जिसे भू—दृश्यांकन, पौध रोपण, टॉट टॉट, तरण—ताल, डेक, सभा स्थल, आवागमन, बिल्डिंग टॉवर, पार्किंग इत्यादि के लिए उपयोग किया जा सके।	
	अध्याय 2	अध्याय 2	
3	2.1.3 सी.ए.एफ. पर हस्ताक्षर किया जाना एवं घोषणाएं :	2.1.3 सी.ए.एफ. पर हस्ताक्षर किया जाना एवं घोषणाएं : टिप्पणी : i) निर्माण कार्य आरंभ करने का नोटिस संस्वकृत प्रदाता	

1572 GI/2019 (1)

प्राधिकारी कार्यालय / यों को देने की शर्त इन भवन निर्माण उप विधि में हटा दी गई है। ii) निर्माण कार्य आरंभ करने और समापन की अनंतिम तिथि की सूचना सीए.ए.एफ. में आवेदन करते समय दी जानी चाहिए और यह श्रम विभाग को ऑनलाइन भेजी जानी चाहिए । 2.10 अन्तर्निहित दोष उत्तरदायित्व : 2.10 अन्तर्निहित दोष उत्तरदायित्व : 4 क) ऐसे भवनों, जिनका प्लॉट क्षेत्रफल 750 वर्ग मीटर क) उपयोग के बाद 750 वर्ग मीटर और अधिक वाले भवनों के सभी जोखिम श्रेणियों में कोई संरचनात्मक त्रुटि अथवा कमी के और अधिक हो, में सभी उपयोग के बाद सभी जोखिम श्रेणियों संबंधी कोई संरचनातमक दोष अथवा कमी के लिए निम्नलिखित उत्तरदायी होंगे :-लिए निम्नलिखित उत्तरदायी होंगे :-वास्तुकार । i. वास्तुकार । संरचना अभियंता । ii. संरचना अभियंता । iii. स्थल पर्यवेक्षक / स्थल अभियंता । iii. स्थल पर्यवेक्षक / स्थल अभियंता । iv. विकासकर्ता / भू-स्वामी / संविदाकार / उप-संविदाकार iv. संविदाकार / उप-संविदाकार सहित निर्माण सहित निर्माण कम्पनी। कम्पनी । ख) ऊपर उल्लिखित प्रोफेशनल और विकासकर्ता/भू–स्वामी/ ख) ऊपर उल्लिखित प्रोफेशनल और संविदाकार/ संविदाकार / उप- संविदाकार सहित निर्माण कम्पनी ऐसी देयता उप-संविदाकार सहित निर्माण कम्पनी ऐसी देयता के को कवर करने के लिए दस वर्ष का व्यावसायिक उत्तरदायित्व लिए दस वर्ष का व्यावसायिक उत्तरदायित्व बीमा बीमा लेगाः लेगी । जो समय समय पर निर्धारित दिशानिर्देशों के अधीन होगा । अध्याय ३ अध्याय ३ 5 3.1.10 3.1.10 सरकारी भवन नक्शों की संस्वीकृति के लिए सरल सरकारी भवन नक्शों की संस्वीकृति के लिए सरल प्रक्रिया सरकारी भवन नक्शों की संस्वीकृति के लिए एक सरकारी भवन नक्शों की संस्वीकृति के लिए एक सरल प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जो अनुलग्नक XII में दी गई पद्धति के अनुसार सरल प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जो अनुलग्नक XII में दिए गए दिनांक 13.09.2012 के कार्यालय आदेश होगी। तथापि, भवन नक्शों को नियमित प्रक्रिया के माध्यम से भी सं. डी / 49 / सी.एम. / एस.डी.एम.सी. / बिल्डिंग एच. संस्वीकृति दी जा सकती है। क्यू. / 2012 और दिनांक 18.04.2012 के आदेश सं. डी / 04 / एस.ई.(बी.)एच.क्यू. / 12 में दिए अनुसार होगी । तथापि, भवन नक्शों को नियमित प्रक्रिया के माध्यम से भी संस्वीकृति दी जा सकती है । नक्शों की संस्वीकृति के लिए भवन नक्शों की संस्वीकृति के लिए पर्यावरणीय शर्ते भवन 6 3.2 3.2 पर्यावरणीय शर्तें टिप्पणी : i) माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 09/12/2016 के संबंध में 2016 के ओ.ए. सं. 677, 2017 के ओ.ए.सं. 01, 2017 के ओ.ए. सं. 7, 2017 के ओ.ए. सं. 55 और 2017 के ओ.ए. सं. 67 में दिनांक 08 / 12 / 2017 के अपने निर्णय के द्वारा अन्य बातों के साथ–साथ निदेश दिया कि जब तक मंत्रालय अपने उक्त उल्लिखित आदेश में चिन्हित उपर्युक्त दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं करता है और 2006 के विनियमों के संशोधित प्रावधानों को अधिसूचित नहीं करता, तब तक वह आक्षेप वाली अधिसूचनाओं को कार्यान्वित नहीं करेगा। ii) माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने 2018 के ओ.ए. संख्या 1017 में दिनांक 03.12.2018 के अपने निर्णय के द्वारा अस्पष्ट अधिसूचना पर रोक लगा दी है और इस अधिसूचना से पूर्व

विद्यमान व्यवस्था को अगले आदेशों तक जारी रखने के लिए

निदेश दिया है ।

		अध्याय 4
	छोटे आवासीय प्लॉटो के लिए	'सरल स्कीम' हेतु कार्यपद्धति एवं प्रलेखन
7	ञ. अनिवार्यतः सड़क चौड़ी करने से प्लॉट के प्रभावित होने की स्थिति में स्थल का निरीक्षण संस्वीकृति प्रदाता प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा ।	हटा दिया गया ।
		ञ. सरल स्कीम के अंतर्गत विभिन्न आकार के प्लॉटों के लिए मानक भवन नक्शों को वेबसाइटों में संस्वीकृति प्रदाता प्राधिकरणों द्वारा अपलोड किया जाना चाहिए ।
	सरल फार्म 1	सरल फार्म 1
		(i)
		टिप्पणीः संशोधित भवन नक्शों की अनुवर्ती संस्वीकृति हेतु क्रमशः उक्त (1), (2) और (3) के संबंध में 10 प्रतिशत की दर से भवन परमिट शुल्क जमा किया जाएगा ।
8	सरल फार्म 2	सरल फार्म 2
	ग) इसके अतिरिक्त, संरचना अभियंता द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित संरचनात्मक स्थायित्व प्रमाण पत्र (कृपया फार्म ए–4 देखें) संलग्न है ।	ग) इसके अतिरिक्त, संरचना अभियंता द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित संरचनात्मक स्थायित्व प्रमाण पत्र (घोषणा प्ररूप, अध्याय–2, पैरा–2.1.3) संलग्न है ।
	अध्याय ७	अध्याय ७
	सामान्य भवन अपेक्षाएं	सामान्य भवन अपेक्षाएं
9	50 वर्ग मी. क्षेत्र तक की आवासीय इकाई हेतु न्यूनतम अपेक्षा	50 वर्ग मी. क्षेत्र तक की आवासीय इकाई हेतु न्यूनतम अपेक्षा
	किचन की चौड़ाई 1.8 मी.	किचन की चौड़ाई 1.5 मी.
	50 वर्ग मी. क्षेत्र से अधिक की आवासीय इकाई हेतु न्यूनतम अपेक्षा	50 वर्ग मी. क्षेत्र से अधिक की आवासीय इकाई हेतु न्यूनतम अपेक्षा
	किचन की चौड़ाई 2.4 मी.	किचन की चौड़ाई 1.5 मी.
10		7.4.12 एक बेसमेंट वाले सभी प्रकार के भवनों हेतु अग्निशमन मंजूरी प्राप्त करनी होगी ।
11		7.4.13 बी.यू.ए. के 200 वर्ग मी. से अधिक आकार के बेसमेंट हेतु अग्नि सुरक्षा उपायों का अनुपालन एन.बी.सी.—भाग 4 मानकों के अनुसार किया जाएगा ।
12	7.10.1 भवन में सीढ़ियों की संख्या का निर्धारण अधिभोगियों की संख्या, दूरी, अंतिम सिरे की सीमा के आधार पर होगा । भवन निर्माण उपविधि 2.8 के अंतर्गत चिन्हित भवनों के संबंध में दो सीढ़ियों की शर्त के अधीन होगा बशर्त कि एक सीढ़ी दूरी तय करने एवं अन्य आवश्यकता के लिए प्रयोग की जाए और दूसरी सीढ़ी का प्रयोग आग से बचने के लिए हो।	7.10.1 भवन में सीढ़ियों की संख्या का निर्धारण अधिभोगियों की संख्या, दूरी, अंतिम सिरे की सीमा के आधार पर होगा । भवन निर्माण उपविधि 9.3 के अंतर्गत चिन्ह्ति भवनों के संबंध में दो सीढ़ियों की शर्त के अधीन होगा बशर्ते कि एक सीढ़ी दूरी तय करने एवं अन्य आवश्यकता के लिए प्रयोग की जाए और दूसरी सीढ़ी का प्रयोग आग से बचने के लिए हो।
13	7.11 सीढियों का विवरण	7.11 सीढ़ियों का विवरण
	छ. कम ऊँचे आवासीय भवनों में राइजर की अधिकतम ऊँचाई 15 सेंटीमीटर गगनचुंबी सहित अन्य भवनों के मामले में राइजर की अधिकतम ऊँचाई 15 सेंटीमीटर होगी और प्रति सीढ़ी राइजरों की अधिकतम संख्या 15 प्रति सीढ़ी होगी ।	छ. कम ऊँचे आवासीय भवनों में और अधिक ऊँचाई वाले आवासीय भवनों सहित अन्य भवनों में राइजर की अधिकतम ऊँचाई 150 मि.मी. होगी । प्रति फ्लाइट राइजर की अधिकतम संख्या 12 तक सीमित होगी ।
	ज. पौडी के बीच से 1.0 मी. की न्यूनतम ऊँचाई पर हैंडरेल होगी और यह इस शर्त के अधीन होगी	ज. हैंडरेल और ग्रैब बार के लिए 11.5.3 देखें ।

	कि छडें/रेलिंग सीढ़ियों की चौड़ाई कम न करें ।	छड़ें / रेलिंग सीढ़ियों की चौड़ाई कम न करें अर्थात् स्पष्ट चौड़ाई 1.5 मी. होनी चाहिए ।	
14	7.11.1 सीढ़ियों के लिए न्यूनतम चौड़ाई का प्रावधान क. अन्य आवासीय भवन जैसे फ्लैटों, छात्रावासों, समूह आवास, अतिथि गृहों, आदि के लिए न्यनतम 1.35 मीटर। विवरण के लिए अध्याय 2 देखें।	7.11.1 सीढ़ियों के लिए न्यूनतम चौड़ाई का प्रावधान क. अन्य आवासीय भवन जैसे फ्लैटों, छात्रावासों, समूह आवास, अतिथि गृहों, आदि के लिए न्यनतम 1.5 मीटर । विवरण के लिए अध्याय 11 देखें ।	
15	7.11.2 रास्ते / गलियारा के लिए न्यूनतम चौड़ाई का प्रावधान ख. आवासीय भवनों जैसे छात्रावास समूह आवास आदि में एकल भार के लिए 1.35 मी और दोहरे भार के लिए 1.8 मीटर ।	7.11.2 रास्ते / गलियारा के लिए न्यूनतम चौड़ाई का प्रावधान ख. आवासीय भवनों जैसे छात्रावास समूह आवास आदि में एकल भार के लिए 1.5 मी और दोहरे भार के लिए 1.8 मीटर ।	
16	7.13.3 गगनचुंबी भवन के मामले में भवन निर्माण विधि संख्या 7.13.1 के अनुसार भवन के आस पास हिरत एवं डोस सतह का खुला स्थान होगा जो 45 टन के वजन की दमकल का भार वहन कर सके।	7.13.3 गगनचुंबी भवन के मामले में भवन निर्माण विधि संख्या 7.13.1 के अनुसार भवन के आस पास हरित एवं ठोस सतह का खुला स्थान होगा जो 45 टन के वजन की दमकल का भार वहन कर सके ।	
		अध्याय 8	
	अत्यंत ऊँ	चे निर्माण हेतु प्रावधान	
17	तालिका 8.1 विभिन्न प्रकार के भवनों हेतु सीढ़ी की न्यूनतम चौड़ाई	तालिका 8.1 विभिन्न प्रकार के भवनों हेतु सीढ़ी की न्यूनतम चौड़ाई	
	भवन का प्रकार न्यूनतम चौड़ाई आवासीय भवन 1.35 मीटर (समूह आवास)	भवन का प्रकार न्यूनतम चौड़ाई आवासीय भवन (समूह 1.5 मीटर आवास)	
18	8.2 पहुँच के साधन	8.2 पहुँच के साधन	
	इसे भवन निर्माण उपविधियों के 'पहुंच के साधन खण्ड 2.7' के साथ पढ़ा जाएः	इसे भवन निर्माण उपविधियों के 'पहुंच के साधन उप—खण्ड 2.0.4. ञ(iv)' के साथ पढ़ा जाए:	
19	8.4.3 सीढ़ियाँ	8.4.3 सीढ़ियाँ	
	ड. हैंडरल, ट्रैड के मध्य से 1.0 मी. की न्यूनतम ऊँचाई के साथ उपलब्ध कराई जानी चाहिए ।	ड. हैंडरेल और ग्रेब बार के लिए 11.5.3 देखें । छड़ / रेंलिंग से सीढ़ियों की चौड़ाई कम नहीं होनी चाहिए ।	
20	8.4.7 रैम्प	8.4.7 रैम्प	
	छ. 3000 वर्ग.मी. से कम के प्लॉटों के लिए रैम्प के स्थान पर अग्नि विभाग के अनुमोदन की शर्त पर कार लिफ्ट प्रदान की जा सकती है ।	छ. 3000 वर्ग.मी. से कम के प्लॉटों के लिए रैम्प के स्थान पर अग्नि विभाग के अनुमोदन की शर्त पर कार लिफ्ट उपलब्ध कराई जा सकती है । 3000 वर्ग मी. से अधिक के प्लॉट/प्लॉटों के लिए रैम्प अनिवार्य है, यदि पार्किंग के लिए उपयोग किए जा रहे हों ।	
		कार लिफ्ट का न्यूनतम आकार एनबीसी मानदण्डों के अनुसार होगा । लिफ्ट कार की चौड़ाई का चयन ऐसा होना चाहिए कि आपात स्थिति में, जब ऑटोमोबाइल कार लिफ्ट हो, तो चालक ऐसा होना चाहिए कि वह ऑटोमोबाइल द्वार खोल सके और ऑटोमोबाइल से बाहर आ सके ।	
21		8.11 : प्रांगण (एट्रियम) में अनुमत कार्यकलाप	
		1) ऐसे कार्यकलाप, जो एट्रियम में हो सकते हैं (ऊपर से ढका न हो) अथवा सार्वजनिक दृष्टि से उपयोगी कार्यकलापों अर्थात्	

		कियो मर्केंड कार्यव सीमा सांविर्ग अनव 2) ए विकार कार्यव एट्रिय जिसे 3) ं अरिनः जाएग	
			सके अतिरिक्त, दिल्ली अग्निशमन सेवा द्वारा अनुशंसित शर्तों ख्ती से पालन करना होगा :
		i)	एट्रियम फ्लोर का उपयोग कम अग्नि खतरों वाले उपयोगों के अलावा नहीं किया जाएगा।
		ii)	कियोस्क के निर्माण और सजावट के लिए केवल अज्वलनशील सामग्री का उपयोग किया जाएगा ।
		iii)	एट्रियम फ्लोर में ओपन फ्लेम के उपयोग वाले किसी व्यावसयिक कार्यकलाप की अनुमति नहीं होगी ।
		iv)	एट्रियम फ्लोर में हॉट प्लेट को छोड़कर खाना पकाने के किसी कार्यकलाप की अनुमति नहीं होगी ।
		v)	हर समय आगंतुकों के परिचालन/आवागमन के क्षेत्र को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया जाएगा और सभी बाधाओं से हमेशा मुक्त रखा जाएगा ।
		vi)	एट्रियम में कियोस्क क्षेत्र की अग्नि सुरक्षा के लिए दूर तक जाने वाले वॉल स्प्रिंक्लर की व्यवस्था की जाएगी ।
		vii)	एट्रियम फ्लोर में कियोस्क / कैफे के लिए अनुमति इस शर्त पर दी जाएगी कि एट्रियम के लिए धुआं प्रबंधन प्रणाली को सी.एफ.डी. विश्लेषण के माध्यम से मान्य किया जाएगा ।
		viii)	एट्रियम के माध्यम से बाहर निकलने के लेवल पर निकास के लिए आंतरिक निकास सीढ़ी के अधिकतम 50 प्रतिशत की अनुमति दी जाएगी।
		ix)	चूंकि प्रत्येक एट्रियम का डिजाइन कई पहलुओं की वजह से भिन्न होता है, इसलिए एट्रियम में कियोस्क के उपयोग की झाइंगों को अनुमोदन हेतु दिल्ली अग्नि शमनसेवा को भेजा जाएगा ।
		x)	एट्रियम का उपयोग एट्रियम फ्लोर के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा और उपर्युक्त शर्तों के अधीन होगा ।
		अध्या	
	संरचनात्मक सुरक्षा, प्राकृतिक आपदा, अग्नि और भवन सेवाओं हेतु प्रावधान		
22	9.3.1	9.3.1	
	च. हैंडरेल की ऊँचाई 1.0 मीटर से कम और		

1.2 मी. से अधिक नहीं होनी चाहिए। हैंडरेल अध्याय 11 के अनुसार होगी। अग्नि बचाव सीढी की स्ट्रैट फ्लाईट 25 सेमी. ट्रेड्स सहित 1.35 मी. चौडाई (प्लॉटिड स्कीम अग्नि बचाव सीढ़ी की स्ट्रैट फ्लाईट 30 सेमी. ट्रेड्स पर आवासीय भवन के मामले में 1.0 मी.) से कम नहीं सहित 1.5 मी. चौड़ाई से कम नहीं होनी चाहिए और राइजर 15 होनी चाहिए और राइजर 19 सेमी. से अधिक नहीं सेमी. से अधिक नहीं होनी चाहिए। राइजर की संख्या प्रति होनी चाहिए । राइजर की संख्या प्रति फ्लाइट 15 फ्लाइट 12 तक सीमित होनी चाहिए। तक सीमित होनी चाहिए । फायर चैक तल / फायर कट ऑफ तल 9.3.8 फायर चैक तल / फायर कट ऑफ तल 9.3.8 70 मी. से अधिक की ऊँचाई वाले अत्यंत 70 मी. से अधिक की ऊँचाई वाले अत्यंत ऊँचे भवन में, ऊँचे भवन में, आवासीय तल स्तर से ठीक 70 मी. ऊपर फायर चैक तल (संपूर्ण तल) उपलब्ध कराया आवासीय तल स्तर से ठीक 70 मी. ऊपर फायर चैक तल (संपूर्ण जाना चाहिए । तल) उपलब्ध कराया जाना चाहिए और इसी तरह प्रत्येक 25 मी. के बाद अथवा 8वें तल, इनमें जो भी कम हो, पर होना चाहिए । 23 9.4.6 उप खण्ड 1.4.75 के अनुसार किसी भी आकार के प्लॉट के समूह आवास और अन्य भवनों, जिनका प्लॉट क्षेत्रफल 3000 वर्ग मीटर और इससे अधिक है, के लिए सर्विस प्लान केवल सामान्य आवेदन फॉर्म (सी.ए. एफ.) में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाएगा । यह आवासीय प्लॉटिड विकास के लिए लागू नहीं है । अध्याय 10 अध्याय 10 हरित भवनों के लिए प्रावधान हरित भवनों के लिए प्रावधान 24 2(क), 2(ख) का वैकल्पिक प्रयोग 105 तक 105 तक शून्य 105 से 3000 (श्रेणी 2) 2(क) को जोड़ा जाना अध्याय --11 अध्याय -11 25 निशक्त जन, बुजुर्ग और बच्चों के लिए सर्वव्यापी दिव्यांग जन, बुजुर्ग और बच्चों के लिए सर्वव्यापी डिजाइन डिजाइन (यूनिवर्सल डिजाइन) हेतु प्रावधान (यूनिवर्सल डिजाइन) हेतु प्रावधान 11.0 **अनुप्रयोज्यता** अनुप्रयोज्यता 26 ये विनियम जनता द्वारा उपयोग में आने वाले सभी ये विनियम जनता द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले सभी भवनों और स्विधाओं पर लागू होते हैं जैसे :- शैक्षिक, सांस्थानिक, सभा भवनों और सुविधाओं पर लागू होते हैं। जैसे शैक्षिक, संस्थागत, संभा, वाणिज्यिक, व्यवसायिक, व्यापारिक , वाणिज्यिक, व्यावसायिक, व्यापारिक भवन और समृह आवास भवन और ग्रुप हाउसिंग इत्यादि। ये निजी निवास पर आदि । ये निजी आवास (आवासीय प्लॉटिड विकास) पर लागू लागू नहीं होंगे। नहीं होंगे । (रिहायशी प्लॉटिड विकास)। व्हील चेयर उपयोग करने वाले व्यक्तियों और दृष्टि बाधित जैसे दिव्यांग जनों आदि के लिए भवन में प्रवेश हेतू प्रति सुविधा कम से कम एक प्रवेश द्वार और एक बाहर जाने का रास्ता होना चाहिए । नए भवनों के लिए जनता के उपयोग के लिए प्रवेश मार्ग ही मुख्य द्वार होना / होने चाहिए और साइड अथवा पीछे से प्रवेश नहीं होना चाहिए । जहां कहीं भी सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रतीक्षा क्षेत्र (वेटिंग एरिया), कॉफी शॉप, डिस्प्ले एरिया, व्यापारिक विभाग, सेवा क्षेत्र, टिकट काउंटर, रिफ्रेशमेंट स्टैण्ड आदि की व्यवस्था की जाएगी वहां ये सुविधाएं सभी दिव्यांग जनों की पहुंच वाली होंगी और केवल व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए नहीं होंगी । सभी भवनों में कम से कम एक महिला-पुरूष (यूनीसैक्स) वॉशरूम/ शौचालय की व्यवस्था की जानी चाहिए । बहुमंजिले भवनों में सभी तलों पर जनरल वॉशरूम के निकट ऐसी स्विधा होनी चाहिए।

नोट: इन एकीकृत भवन निर्माण उप-विधि-2016 में निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अलावा अतिरिक्त और विस्तृत आवश्यकताओं के लिए शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित 'हार्मानाइज्ड गाइडलाइन्स एण्ड स्पेस स्टैंडर्ड फॉर बैरियर फ्रीबिल्ट एन्वायरमेंट फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एण्ड एल्डरली पर्सन्स-फरवरी 2016'' का एन.बी.सी. अध्याय 3-खण्ड 13 बुजुर्ग और दिव्यांग जनों के लिए निर्मित पर्यावरण की पहुंच के लिए आवश्यकताओं और अनुलग्नक ख: बुजुर्गों और दिव्यांग जनों के लिए निर्मित पर्यावरण पहुंच के लिए मानवित्रिय और आवश्यकताओं; जो समय-समय पर यथा संशोधित हों; के साथ पालन किया जाएगा।

27 | 11.1 चलने में(एम्बूलैंट) निशक्त जन के लिए निर्मित किए जाने वाले भवन

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कॉन्फ्रेंस हाल, डांस हाल, युवा केन्द्र, खेल केन्द्र, स्पोर्ट पैविलियन, बोट क्लब हाउस, आइस रिंक्स, बोलिंग सेन्टर, स्विमिंग पूल, पुलिस स्टेशन, विधि न्यायालय, कोर्ट हाउस, स्पोर्ट स्टेडियम, थियेटर, कॉन्सर्ट हाल, सिनेमा, ऑडिटोरियम, छोटे कार्यालय (अधिकतम प्लिन्थ एरिया 1400 वर्ग मीटर), स्नैक बार, केंफे और बैंक्विटिंग रूम (50 लोगों से अधिक की दावत क्षमता के लिए)।

नोट :

- (क) स्पोर्ट स्टेडियम में नॉन ऐम्बूलेंट दर्शकों (छोटी व्हील चेयर) के लिए प्रावधान बनाए जाएं।
- (ख) 10,000 दर्शकों तक 1 : 1000 की दर से और 10,000 दर्शकों से ऊपर 1:2000 की दर से।
- (ग) थियेटर, कॉन्सर्ट हाल, सिनेमा और ऑडिटोरिया में, नॉन एम्बूलेंट दर्शकों (छोटी व्हील चेयर) के लिए 1000 दर्शकों तक 1/250 की दर से और 1000 से ऊपर दर्शकों के लिए 1/500 की दर से प्रावधान बनाए जाएंगे।

11.2 नॉन एम्बूलेंट निशक्त जनों के लिए निर्मित किये जाने वाले भवन

(अनुलग्नक VI—विकास मानदंड— दिल्ली मुख्य योजना—2021) में उल्लिखित के अनुसार निशक्त जनों के लिए स्कूल, शमशान और भवन, बोटेनिकल गार्डन, धार्मिक भवन, बुर्जुगों के लिए क्लब, ग्राम हॉल, डे—सेन्टर, कनिष्ठ प्रशिक्षण केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, बैंक, डिस्पेंसिरयां, रेलवे स्टेशन, दुकानें, सुपर मार्केट और डिपार्टमेंटल स्टोर्स।

नोट: बड़ी व्हील चेयर संबंधी मानदंड निम्नलिखित भवन, पोस्ट ऑफिस, बैंक, डिस्पेंसरी, रेलवे स्टेशन, दुकानें, सुपर मार्केट और डिपार्टमेन्टल स्टोर्स के ग्राउंड फ्लोर पर लागू होंगे।

11.3 नॉन—एम्बूलेंट निशक्त जन (छोटी व्हील चेयर का उपयोग करना) के लिए निर्मित किये जाने वाले भवन

पर्यटन स्थलों में सार्वजनिक शौचालय, क्लब मोटल, व्यावसायिक एवं वैज्ञानिक संस्थान, संग्रहालय, आर्ट गैलरी, सार्वजनिक पुस्तकालय, लैबोराइट, विश्वविद्यालय, आगे की शिक्षा हेत् महाविद्यालय, हटा दिया गया ।

अध्यापक प्रशिक्षण कॉलेज, तकनीकी कॉलेज, प्रदर्शनी हॉल, दन्त शल्य चिकित्सा, अस्पतालों का प्रशासनिक विभाग, सर्विस स्टेशन, कार—पार्किंग, बिल्डिंग एयरपोर्ट टर्मिनल, बस टर्मिनल, बैठकर करने वाले कार्यों (सेडन्टरी वर्क्स) के लिए निशक्त जनों को रोजगार प्रदान करने वाले कारखाने, बड़े कार्यालय (1400 वर्ग मीटर के प्लिन्थ एंरिया के साथ), कर कार्यालय, पासपोर्ट कार्यालय, पेंशन कार्यालय और श्रम कार्यालय, कैफे, बैंक्वेटिंग रूम और स्नैक—बार (100 से अधिक लोगों की दावत क्षमता के लिए)।

28 11.4.2

- (क) दो कार स्पेस के लिए सतह पार्किंग को बिल्डिंग प्रवेश द्वारा से 30 मीटर की अधिकतम यात्रा दूरी के साथ निशक्त जनों के लिए प्रवेश के निकट उपलब्ध करवाया जाएगा।
- (ख) पार्किंग मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 3.6 मीटर होगी।

11.4.2

- क. दिव्यांग जनों हेतु दो कारों की जगह के लिए सतही पार्किंग को बिल्डिंग प्रवेश द्वार/लिफ्ट लॉबी के निकट अधिकतम 30 मीटर की यात्रा दूरी पर उपलब्ध करवाई जाएगी । यदि पहुंच लिफ्ट के द्वारा है, तो पार्किंग का स्थान लिफ्ट लॉबी के 30 मीटर के अंदर होगा ।
- ख. पार्किंग स्थल की चौडाई और लंबाई न्यूनतम 3.6 मीटर x 5.0 मीटर होगी। न्यूनतम चौडाई में कार की बगल में न्यूनतम 1200 मि.मी. ट्रांसफर एरिया सहित शामिल होगा।

शेयर किए जाने वाले ट्रांसफर एरिया के साथ दो सुगम्य पार्किंग स्थानों का व्यापक उपयोग किया जाएगा तथा जिसकी न्यूनतम चौडाई 6 मीटर होगी ।

- ड. जहां एक दूसरे के निकटवर्ती दो पहुंच पार्किंग स्थल होंगे वहां 1200 मि.मी. साइड ट्रांसफर स्थल दोनों पार्किंग स्थलों द्वारा शेयर की जाएंगी। ट्रांसफर जोन में साइड में और पीछे दोनों ओर पीली अथवा सफेद क्रॉस—हेच रोड़ मार्किंग होनी चाहिए और एक 1200 मि.मी. चौड़े पहुंच मार्ग से जुड़े होने चाहिए।
- च. प्रत्येक पार्किंग क्षेत्र में कम से कम एक पहुंच निर्धारित पार्किंग स्थल की व्यवस्था की जाएगी;
- i) 10 पार्किंग स्थल तक के लिए एक निर्धारित पहुंच पार्किंग स्थल की व्यवस्था की जाएगी;
- ii) 25 पार्किंग स्थल तक के लिए दो निर्धारित पहुंच पार्किंग स्थल की व्यवस्था की जाएगी;
- iii) 50 पार्किंग स्थल तक के लिए तीन निर्धारित पहुंच पार्किंग स्थल की व्यवस्था की जाएगी;
- iv) 100 पार्किंग स्थल तक के लिए चार निर्धारित पहुंच पार्किंग स्थल की व्यवस्था की जाएगी;
- v) 200 पार्किंग स्थल तक के लिए छह निर्धारित पहुंच पार्किंग स्थल की व्यवस्था की जाएगी;
- vi) 200 से अधिक पार्किंग स्थल के लिए, 200 पार्किंग स्थलों के लिए छह निर्धारित पहुंच पार्किंग स्थलों और प्रत्येक 100 पार्किंग स्थलों के एक निर्धारित पहुंच पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी।

हेल्थ केयर सुविधा, शॉपिंग क्षेत्र और मनोरंजनात्मक सुविधाओं जैसी विशिष्ट सुविधाओं में बड़ी संख्या में निर्धारित पहुंच पार्किंग स्थलों पर विचार किया जाना चाहिए।

छ. टैक्सी, सार्वजनिक परिवहन और वैन जेसे बड़े वाहनों आदि के लिए मुख्य पहुंच मार्ग के जितना संभव हो, उतने निकट

यात्रियों को उतारने के स्थल हेतु स्थान की व्यवस्था की जानी चाहिए । वाहन से यात्रियों को उतारने का क्षेत्र की लम्बाई न्यूनतम 9000 मि.मी. चौड़ाई न्यूनतम ३६०० मि.मी. और किनारे पर रैम्प वाला होना चाहिए । दिव्यांग जनों के लिए टैक्सी स्टैण्ड से बैठाने और उतारने के स्थान तथा कार पार्किंग से भवन के प्रवेश मार्ग की ओर जाने वाले टेक्टाइल फर्श (पेवर) द्वारा चिन्हित कम से कम एक पहुंच मार्ग {देखें (ड.)} की व्यवस्था की जाएगी । 11.4.3 29 स्पर्शनीय (टेक्टाइल) भू–सतह (टी.जी.एस.आई.)ः स्पर्शनीय मार्गदर्शन और चेतावनी ब्लॉक : दृष्टिबाधित पदयात्रियों की सहायता के लिए निर्मित पर्यावरण के अनुकूल स्पर्शनीय भू–सतह संकेतक अथवा स्पर्शनीय मार्गदर्शन और चेतावनी टाइल/ब्लॉकों की व्यवस्था प्रचलित एन.बी.सी. मानदण्डों के अनुसार की जाएगी । स्पर्शनीय मार्गदर्शन ब्लॉक दृष्टिबाधित व्यक्तियों को चलने के लिए सही रास्ता / मार्ग का संकेत देंगे । प्रस्तावित पहुंच मार्ग की संपूर्ण लंबाई के साथ-साथ स्पर्शनीय मार्गदर्शन ब्लॉकों की एक / दो पंक्ति स्थापित करना अनिवार्य है । यह सुनिश्चित करने के लिए इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि मार्गदर्शन ब्लॉक द्वारा पार करने वाले मार्ग के साथ पेड, खम्बे अथवा ऊँची-नीची सतह जैसे अवरोध न हों। टैक्टाइल गाइडिंग ब्लॉक के ऊपर न्यूनतम 2100 मि.मी. की ऊँचाई का स्पष्ट हैडरूम भी होगा, जिस पर वृक्षों की लटकती हुई शाखाओं और मार्ग की पूरी लम्बाई तक लगे हुए संकेतकों जैसी बाहर की उभरी हुई चीजें न हों । टैक्टाइल चेतावनी ब्लॉक आने वाली सम्भावित बाधाओं के बारे में बताते हैं अथवा पैदलपथ की दिशा में परिवर्तन के बारे में बताते हैं और दृष्टिबाधित व्यक्तियों को आने वाले खतरों के लिए चेतावनी देकर उन्हें सावधानीपूर्वक पैर रखने के लिए तैयार करते हैं और यात्रा मार्ग, यातायात चौराहों, डोर–वे आदि के साथ–साथ संभावित बाधाओं को दर्शाते हैं । इनका प्रयोग बाधाओं ड्रॉप ऑफ्स अथवा अन्य खतरों से बचने के लिए, गलत दिशा की ओर जाने से रोकने के लिए और किसी कोने अथवा जंक्शन की चेतावनी देने के लिए किया जाता है। टैक्टाइल वार्निंग टाइल की दो पंक्ति निर्धारित सूगम्य मार्ग की संपूर्ण चौडाई तक चौराहे से पहले, किसी बिल्डिंग में प्रवेश से पहले लेवल परिवर्तन, वृक्ष जैसी बाधाओं और हर बार पैदल मार्ग की दिशा बदलने से पहले लगाई जाएंगी। चेतावनी ब्लॉक रैम्प और सीढ़ियों की शुरूआत अंत पर, किसी द्वार की लैंडिंग और प्रवेश पर, और 300 मि.मी. तक लगाए जाने चाहिए । 11.4.3.1 टी.जी.एस.आई लगाने के स्थान टी.जी.एस.आई. निम्नलिखित स्थानों पर लगाए जाएंगे :--दृष्टिबाधित व्यक्तियों को दिशा का संकेत करने के लिए खुले स्थान में; ख) जहां यातायात हो, ऐसे क्षेत्र के सामने;

रैम्प, सीढियों अथवा मल्टीलेवल क्रॉसिंग सुविधा से

प्रवेश / निकास के सामने;

- घ) सार्वजनिक यातायात टर्मिनलों अथवा बोर्डिंग क्षेत्रों के प्रवेश / निकास पर:
- ड.) किसी बिल्डिंग तक पहँच मार्ग के साइड वॉक / फुटपाथ पर और
- च.) सार्वजनिक सुविधा से नजदीकी सार्वजनिक यातायात स्टेशन तक ।

11.4.3.2 अवरोध और खतरा

पैदल पथ के साथ दीवार, कॉलम अथवा फ्री—स्टैंडिंग स्पोर्ट पर लगाई गई वस्तुएं अथवा साइन जैसी बाधाओं से बचा जाना चाहिए । पैदल पथ पर पहुंच मार्ग के अन्दर आवश्यक फ्री—स्टैंडिंग पोस्ट अथवा कॉलम कम से कम 1000 मि.मी. चौड़ाई वाला बाधा रहित पैदल पथ छोड़ा जाएगा और दिखाई देने वाले संकेतकों द्वारा स्पष्ट रूप से चिन्हित किया जाएगा । कम से कम 75 मि.मी. ऊँचाई वाले दृश्यात्मक संकेतक, जो बैकग्राउंड रंगों की एल.आर.वी. वेल्यू में 30 प्वाइंट्स के अंतर वाले न्यूनतम दृश्यात्मक कंट्रास्ट वाले हों, को लगाया जाएगा । इन्हें फर्श लेवल से 800 मि.मी. और 1000 मि.मी. के बीच की ऊँचाई पर लगाया जाएगा और दूसरों को फर्श लेवल से 1400 मि.मी. और 1600 मि.मी. के बीच की ऊँचाई पर लगाया जाएगा ।

यातायात का मार्गदर्शन करने के लिए और वाहनों के अनिधकृत प्रवेश को रोकने के लिए सामान्यतः एक कतार में व्यवस्थित सीधे खड़े छोटे स्तम्भ बोलार्ड की ऊँचाई अधिकतम 1000 मि.मी. होगी । पहुंच मार्ग के अन्दर स्थापित किए गए बोलार्डों के बीच 1000 मि. मी. की स्पष्ट दूरी होनी चाहिए, ताकि व्हीलचेयर को चलाने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो सके ।

11.4.3.3 बाहर की ओर निकली वस्तुएं

आवश्यक बाहर की ओर निकली हुई वस्तुएं एक पहुंच मार्ग अथवा चलने के स्थान की न्यूनतम स्पष्ट चौड़ाई को कम नहीं करेंगी । पहुंच मार्ग में बाहर की ओर निकली वस्तुएं पृष्ठभूमि के पास कॉन्ट्रास्ट रंग की होंगी ।

1000 मि.मी. की ऊँचाई से कम की वस्तुएं दृष्टिबाधित और आंशिक रूप से दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। ऐसे स्थाई उपकरण जो मार्ग की सीमा के बाहर नहीं लगाए जा सकते, को निम्नानुसार लगाया जाएगाः

- क) ऐसे डिजाइन किया जाए कि बैकग्राउंड से 30 प्वाइंट्स के एल.आर.वी. में न्यूनतम अंतर के साथ आसानी से दिखाई दें।
- ख) प्रभाव के विरूद्ध सुरक्षा के लिए रक्षा कवच हों।
- ग) उनमें एक ऐसी विशेषता हो, जो सम्भावित खतरे के बारे में सावधान कर दें और जिनकी पहचान ऐसे व्यक्तियों, जो सफेद छड़ी अथवा बेंत का उपयोग करते हैं, द्वारा आसानी से की जा सके।

मार्ग के साथ हैडरूम की व्यवस्था की जाएगी, जो तल से कम से 2100 मि.मी. की ऊँचाई पर होगा ।

पहुंच मार्ग में ग्राउंड लेवल से 300 मि.मी. और 2100 मि.मी. के बीच की ऊँचाई पर 100 मि.मी. से अधिक बाहर को निकली हुई कोई वस्तु स्पष्ट रूप से देखी जा सकेगी और किसी छड़ी से इसका पता लगाया जा सकेगा ।

जब कोई बाहर की तरफ निकली हुई बाधा विद्यमान हो, तो बाहर की तरफ निकली हुई वस्तु के नीचे 100 मि.मी. से 300 मि.मी. की ऊँचाई पर एक किनारे के पत्थर अथवा फिक्स वस्तु जैसा कोई

		सुरक्षा गार्ड उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि छड़ी से उसका पता लगाया जा सके । बाहर की तरफ निकली हुई वस्तु का छड़ी से पता लगाना 100 मि.मी. से अधिक नहीं होना चाहिए। जहां बाहर की तरफ निकली हुई वस्तु के नीचे खाली स्थान की आवश्यकता होती है, वहां विंग वॉल्स, साइड पार्टीशन, एल्कोब्ज अथवा रिसेसिज बाहर निकली हुई वस्तुओं के लिए समाधान है । विंग्ड सुरक्षा तल से 300 मि.मी. और 1000 मि.मी. ऊपर प्रदान की जाएगी और पृष्ठभूमि के रंग से कॉन्ट्रास्ट रंग की होगी।
30	11.5.1	11.5.1
	क. रैम्पड पहुंच : भवन में प्रवेश करने के लिए रैम्प को न फिसलने वाली (नॉन-स्लिप) सामग्री के साथ तैयार किया जाएगा। अधिकतम 1:12 के ग्रेडिएन्ट के साथ रैम्प की न्यूनतम चौड़ाई 1.8 मीटर होगी। सिंगल स्ट्रेच में रैम्प की लंबाई 9.0 मीटर से अधिक नहीं होगी, जिसमें रैम्प के ऊपरी और निचले हिस्से के परे 300 एम एम के विस्तार के साथ दोनों तरफ 0.8 मीटर की हाई हैंड रैल होगी। सटी हुई दीवार से हैंड रैल की न्यूनतम दूरी 50 एम एम होनी चाहिए।	क. रैम्पड पहुंच : भवन में प्रवेश करने के लिए रैम्प को न फिसलने वाली (नॉन-स्लिप) सामग्री के साथ तैयार किया जाएगा । रैम्प की न्यूनतम चौड़ाई 1.8 मीटर होगी । लैंडिंग के लिए लेवल प्लेटफार्म 1.5 मी. से कम न हो । रैम्प के लिए न्यूनतम विनिर्देशनों के लिए तालिका सं. 11.1 देखें। तालिका 11.1 अनुलग्नक-बी 6 पर संलग्न है। 150 मि.मी. से अधिक उर्घ्याधर रैम्प की हैंडरेल ऐसी होनी चाहिए कि —
		 11:5:3 के अनुसार ऊँचाई पर स्थित हो । हैंडरेल दोनों ओर लगी होनी चाहिए और हैंडरेल लैंडिंग पर भी लगी होनी चाहिए और हैंडरेल का अंतिम सिरा गोल हो और भूमि में फिक्स होना चाहिए ।
31	11.5.1	11.5.1
	(ख) सीढ़ी से पहुंच (स्टेप्ड अप्रोच) : सीढ़ी से पहुंच के लिए, ट्रेड का आकार 300 एम एम से कम और 0. 15 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। सीढ़ी से पहुंच के दोनों ओर 0.8 मीटर हाई हैंड रैल का प्रावधान रैम्पड पहुंच के समान होगा।	ख. सीढ़ी से पहुंच (स्टेप्ड अप्रोच)ः सीढ़ी से पहुंच के लिए ट्रेड का आकार 300 मि.मी. से कम और 150 मि.मी. से अधिक नहीं होना चाहिए । सीढ़ी से पहुंच के दोनों ओर हैंडरेल का प्रावधान रैम्पड पहुंच के समान होगा ।
32	11.5.1	11.5.1
	(ग) निकास/प्रवेश द्वार : प्रवेश द्वार के न्यूनतम और पूरा खुलने का आकार 90 एम एम होगा और इसमें कोई सीढ़ी नहीं होनी चाहिए जो व्हील चेयर उपयोगकर्ता (यूजर) के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती हो। दहलीज 12 एम एम से अधिक उठी हुई नहीं होनी चाहिए।	ग. निकास/प्रवेश द्वार : प्रवेश द्वार के न्यूनतम और पूरा खुलने का आकार 900 मि.मी. होगा और इसमें कोई सीढ़ी बाधा नहीं होनी चाहिए जो व्हीलचेयर उपयोगकर्ता (यूजर) के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती हो । दहलीज 10 मि.मी. से अधिक उठी हुई नहीं होनी चाहिए। ऐसे पहुंच द्वार से कॉरिडोर अथवा गलियारे की चौड़ाई 1500 मि.मी. से कम नहीं होनी चाहिए । बहुमंजिली इमारतों में लिफ्ट तक पहुंचने के लिए पहुंच प्रवेश द्वार का एक सुगम्य मार्ग होगा {11.4.2 (ई)देखें} दृष्टिबाधित उपयोगकर्ताओं की सहायता के लिए सभी बाहरी द्वारों पर 300 मि.मी. पहले वॉर्निंग ब्लॉक लगे होने चाहिए। नोट : दरवाजों, खिड़कियों, प्रचालन नियंत्रण और यंत्रों तथा अन्य भवन आवश्यकताओं, संकेतकों, स्वचालित सीढ़ियों आदि के विवरण के लिए एन.बी.सी. अध्याय 3—खण्ड 13 "वृद्ध व्यक्तियों और दिव्यांगजनों के लिए निर्माण परिवेश में पहुंच हेतु आवश्यकताएं" और अनुलग्नक ख : "वृद्ध व्यक्तियों और दिव्यांगजनों के लिए निर्माण परिवेश में पहुंच हेतु मानविमिति और आवश्यकताएं" में विनिर्दिष्ट मानकों का समय—समय पर यथा—संशोधन अनुसरण किया जाना चाहिए।

पीछे की दीवार के साथ विषमता (कन्ट्रास्ट) होनी

शुरूआत में ब्रेल / टेकटाइल मार्किंग के साथ उपलब्ध

करवाया जाएगा तथा अंत में दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए

जानकारी उपलब्ध करवाई जानी चाहिए।

33 11.5.2 निशक्त जन के लिए प्रवेश / निकास से 11.5.2 दिव्यांगजनों के लिए प्रवेश / निकास से जुड़ता हुआ जुड़ता हुआ कोरिडोर कॉरिडोर । (ग) यदि स्तर (लेवल) में कोई अंतर हो, तो 1:2 के यदि स्तर (लेवल) में कोई अंतर हो, तो तालिका 11.1 में अनुपात में ढलान स्लोप के साथ ढलान मार्ग की यथा-विनिर्दिष्ट ढलान मार्ग की व्यवस्था की जाएगी । व्यवस्था की जाए। (घ) रैम्प / स्लोब वे के लिए हैंडरेल की व्यवस्था की **हैंडरेल और ग्रेब बार्स (11.5.3 देखें)** के अनुसार रैम्प / स्लोप–वे के लिए हैंडरेल की व्यवस्था की जाए । बलस्टर जाए । (छोटा खंभा) / रेलिंग कॉरिडोर की चौडाई को कम नहीं करेगा । 11.5.3 हैंडरेल एवं ग्रैब बार 34 सीढ़ीनुमा-पथ, सीढ़ियों और रैम्पों के लिए हैंडरेल निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करेंगे :--वे दोनों तरफ उपलब्ध कराए जाएंगे; वे लेंडिंग पर भी ऐसे ही लगे रहेंगे ; ख) वे पहले और अंतिम नोजिंग से परे कम से कम 300 एम.एम. तक बढाए जाएंगे। कोई हैंडरेल किसी अनुप्रस्थ परिसंरचरण पथ में तब तक प्रक्षेपित नहीं किया जाएगा जब तक वह अनवरत न हो और पथ के साथ-साथ मार्गदर्शन न करता हो । रैम्प अथवा सीढ़ियों की समाप्ति पर क्षितिज विस्तार के अंतिम छोर दीवार की ओर मोडे जाने चाहिए; अथवा नीचे की ओर मोडे जाने चाहिए और फर्श अथवा भू-स्तर तक समाप्त किए जाने चाहिए । दीवारों और इनके बीच न्यूनतम 50 एम.एम. की स्पष्ट जगह होगी । एक हैंडरेल के शीर्ष तक ऊँचाई एक रैंप की सतह एक सीढी की पिच लाइन और एक लैंडिंग की सतह से 900 एम.एम. ऊपर होगी । पहले वाले हैंडरेल की तुलना में कम प्रोफाइल वाला दूसरा हैंडरेल उपलब्ध करवाया जाएँगा । दूसरे हैंडरेल के शीर्ष की ऊँचाई एक रैंप की सतह एक सीढी की पैच लाइन और एक लैंडिंग की सतह से 760 एम.एम. ऊपर होगी । दोनों हैंडरेल के बीच 100 एम.एम. की पर्याप्त दूरी होगी। यदि हैंडरेल एक रिसेस में जुड़ा हुआ है, तो वह रिसेस 50 एम.एम. गहरा होगा । 11.5.3.1 **हैंडरेल** सुरक्षित रूप से जुड़ा हुआ और सुदृढ़ होना चाहिए; इसकी जर्कड और सामग्रियां ऐसी होनी चाहिए कि 1.7 के एन. के लम्बवत् और क्षैतिज दोनों सहन कर सके। घुमावदार सिरों पर फिसलन रोधक होना चाहिए; ख) 38 एम.एम. के व्यास का वृत्तीय भाग होना चाहिए; ग) ਬ) किसी भी न्कीले और खुरद्रे घटकों से रहित होने चाहिए: निरंतर मजबूज पकड वाली सतहें हो, जिनमें ऐसी कोई व्यवधान अथवा बाधाएँ न हों, जिनसे किसी हाथ की पकड छूट सकती है:

च) चाहिए;

11.5.3.2 ग्रेब बार्स स्रक्षित रूप से जुड़ा हुआ और मजबूत होगा; क) घुमावदार सिरों पर फिसलन रोधक होगा; ख) नर्ल्ड सतहों को वरीयता दी जानी चाहिए: ग) व्यास में 38 एम.एम. का वृत्तीय भाग होना चाहिए; ਬ) किसी भी नुकीले और खुरदुरे घटकों से रहित होना ड.) चाहिए; च) दीवार से 50 एम.एम. से 65 एम.एम. तक की न्युनतम स्पष्ट दूरी होनी चाहिए: 760 एम.एम. से 900 एम.एम. की ऊँचाई पर लगाए जाने छ) चाहिए: 1.7 के.एन. के भार वहन करने की क्षमता होनी चाहिए; ज) पीछे की दीवार / सतह के साथ विषमता (कन्ट्रास्ट) होनी झ) चाहिए । 11.6 सीढ़ी—मार्ग (स्टेयर—वे) 11.6 **सीढ़ी-मार्ग (स्टेयर-वे)** 35 (क) न्यूनतम चौडाई 1.35 मीटर होनी चाहिए। न्युनतम चौडाई 1.5 मीटर होगी । (ख) सीढ़ी की ऊंचाई 0.15 मीटर से और ट्रेड की राइजर की ऊँचाई 150 एम.एम. से अधिक नहीं होगी चौडाई 300 एम एम से अधिक नहीं होगी। सीढी में और ट्रेड की चौडाई 300 एम.एम. से अधिक नहीं होगी । सीढियों द्रारोह (वर्गाकार) नोजिग नहीं होनी चाहिए। में ऊँची-नीची (वर्गाकार) नोजिंग नहीं होनी चाहिए हैंडरेल और ग्रेब बार के लिए 11.5.3 देखें । (घ) सीढियों के दोनों तरफ हैंडरेल की व्यवस्था की बलस्टर / रेलिंग से सीढियों की चौडाई कम न हों । जाएगी और सीढी के प्रत्येक फ्लाइट के ऊपर और नीचे की ओर उसे 0.3 मीटर से बढाया जाएगा। ड.) सीढियां उतरने का स्थान न्यूनतम 1.5 मी. होगा । बाधाओं के जोखिम को कम करने के लिए प्राजेक्टिंग नोजिंग और खुली सीढियां उपलब्ध नहीं करवाई जाएंगी । सीढ़ी की ट्रेंड के ऊपर 2100 एम.एम. के स्तर से नीचे सीढी की किसी दीवार के तल से 90 एम.एम. से परे कोई उपकरण, फिक्सचर अथवा फिटिंग नहीं लगाई जाएगी। यदि ऐसा कोई प्रोजेक्शन अपरिहार्य है, तो इसे भी नीचे की ओर ट्रेड के स्तर तक बढा दिया जाएगा । तथापि, किसी भी स्थिति में सीढी की चौडाई उप-विधि में निर्धारित चौडाई से कम नहीं होगी । 11.7 लਿफ्ट 11.7 लिफ्ट 36 तालिका सं. 10.1 वांछनीय लिफ्ट आकार तालिका सं. 11.2 वांछनीय लिफ्ट आकार स्पष्ट आंतरिक चौडाई 1.1 申l. स्पष्ट आंतरिक चौडाई न्यूनतम (क्लीयर इंटरनल विड्थ) (न्यूनतम) 1.5 मी. स्पष्ट आंतरिक गहराई स्पष्ट आंतरिक गहराई 2.0 मी. न्यूनतम (क्लीयर इंटरनल विड्थ) 1.5 मी. (न्यूनतम) (क) 760 मि.मी. की ऊँचाई पर हैंडरेल और अन्य विवरण के लिए (क) तल स्तर से ऊपर 1.0 मीटर पर 0.6 मीटर से 37 लंबी हैंडरेल को कंट्रोल पैनल के समीप लगाया 11.5.3 देखें । जाएगा। 11.8 शौचालय 11.8 शौचालय और सेनिटरी रूम 38 निशक्त जन के उपयोग के लिए शौचालयों में एक सार्वजनिक शौचालयों के लिए उनमें उपलब्ध कराई गई सुविधाओं विशेष वाटर क्लोजेट (डब्ल्यू.सी.) की व्यवस्था की के संबंध में इन प्रावधानों के अंतर्गत समग्र अपेक्षाओं का अनुपालन जाएगी. जिसमें निशक्त जन के लिए प्रवेश द्वार के किया जाएगा ताकि यह सनिश्चित किया जा सके कि वे सगम्य हैं । सभी सार्वजनिक शौचालयों में निम्नलिखित की व्यवस्था होनी

निकट वाश—बेसिन का आवश्यक प्रावधान हो।

- (क) न्यूनतम आकार 1.5 मी. X 1.75 मी. होगा।
- (ख) दरवाजे की न्यूनतम क्लीयर ओपनिंग 0.9 मीटर होगी और दरवाजा दोलायमान (स्विंग–आउट) होगा।
- (ग) शौचालय में दीवार से 50 मि.मी. की दूरी पर उर्घ्वाधर/अनुप्रस्थ हैंडरेल की उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी।
- (घ) डब्लयू.सी. सीट तल से 0.5 मी. होगी ।

11.8.1 बिना लिफ्ट वाली बिल्डिंग में शौचालयों (डब्ल्यू.सी.) का प्रावधान

ऐम्बूलेंट निशक्त जनों के लिए तैयार किए गए भवनों के लिए सभी तलों पर विशेष शौचालय (डब्ल्यू सी.) का प्रावधान किया जाएगा। नॉन—ऐम्बूलेंट निशक्त जनों के लिए तैयार किए गए भवनों के लिए, भू—तल पर विशेष शौचालयों (डब्ल्यू.सी.) की व्यवस्था की जाएगी। शौचालय (डब्ल्यू.सी.) का आकार निशक्त जन द्वारा उपयोग की जाने वाली व्हील चेयर के प्रकार पर निर्भर करेगा।

11.8.2 लिफ्ट वाली बिल्डिंग में डब्ल्यू.सी. का प्रावधान

सभी तलों पर विशेष शौचालयों का प्रावधान किया जाएगा। शौचालय का आकार निशक्त जन की श्रेणी पर निर्भर करेगा, जिनके लिए व्यवस्था की गई हो।

11.8.3 शौचालय विवरण : एम्बूलेंट निशक्त जन के लिए निर्मित शौचालय के लिए

- (क) शौचालय (डब्ल्यू.सी.) का न्यूनतम आकार 1.075 x 1.65 मी. होगा, जिसकी 0.9 मी. के प्रवेश द्वार से 1.45 मी. की न्यूनतम गहराई होगी।
- (ख) हैंडरेल के मध्य स्पष्ट चौड़ाई के साथ शौचालय (डब्ल्यू.सी.) के साइड क्लोजर पर लंबी हैंडरेल 0.9 मीटर होगी और तल स्तर से हैंडरेल की ऊंचाई 0.8 मी होगी।
- (ग) पूरी तरह से दरवाजा खुलने का न्यूनतम आकार 0.78 मीटर होगा।

11.8.4 छोटी व्हील चेयर का प्रयोग कर रहे नॉन-ऐम्बूलेंट निशक्त जन के लिए निर्मित किए गए शौचालयों के लिए

शौचालयों (डब्ल्यू.सी.) का न्यूनतम आकार प्रवेश द्वार से 1.5 मी. की न्यूनतम गहराई के साथ 1.35 x 1.5 मी. होगा। शौचालय के साइड क्लोजर पर 0.9 मी. लंबी हैंडरेल की व्यवस्था की जाएगी। व्हील चेयर के लिए मूवमेंट स्पेस की व्यवस्था करने हेतु, डब्ल्यू.सी. सीट को विपरीत सन्निकट दीवार की एक ओर

चाहिए ।

- क) पुरूष शौचालय में चलने में असमर्थ लोगों के लिए सहायक ग्रैब बार के साथ एक मूत्रालय होगा और बच्चों के लिए 430 मि.मी. की कम ऊँचाई पर कम से कम एक मूत्रालय होगा ।
- ख) पुरूष और महिला दोनों शौचालयों में चलने में असमर्थ लोगों के लिए कम से कम एक डब्ल्यू.सी. होगा ।
- ग) पृथक प्रवेश द्वार के साथ एक टाइप 'ए' महिला और पुरुष दोनों के लिए सुगम्य शौचालय ।
- घ) लोगों की आवाजाही के अनुसार पुरूष और महिला दोनों शौचालयों में एक टाइप 'बी' स्गम्य शौचालय ।

स्वच्छता सुविधाएं विभिन्न प्रकार के उपयोगकर्ताओं के लिए डिजाइन की जाएंगी। सुगम्य शौचालय जिनका उपयोग महिलाएं और पुरूष दोनों कर सकें (दोनों के लिए सुगम्य शौचालय) उन लोगों के लिए अधिक आसानी प्रदान करते हैं, जिन्हें सहायता की आवश्यकता होती है। अतः यह अधिमान विकल्प है। महिलाओं और पुरूषों के लिए पृथक व्हीलचेयर सुगम्य शौचालयों के अतिरिक्त महिलाओं और पुरूषों दोनों के लिए हमेशा व्हीलचेयर सुगम्य शौचालय उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इसी प्रकार, चलने में असमर्थ लोगों के लिए एक पृथक महिला—पुरूष शौचालय के लिए बड़े क्यूबिकल का प्रावधान होना चाहिए, जिससे बच्चों के साथ अभिभावकों और ऐसे लोगों, जिन्हें बड़ी जगह चाहिए, (उदाहरण के लिए जिनके पास सामान हो) को लाभ होगा।

सुगम्य शौचालय विद्यमान शौचालय ब्लॉक के एकदम नजदीक होगा और यह ढूंढने में आसान होगा । यह ऐसी जगह पर अवस्थित नहीं होना चाहिए जिससे उपयोगकर्ता की निजता प्रभावित हो ।

इस कोड के अनुसार अनुमानित आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यदि केवल एक शौचालय उपलब्ध कराने का निर्णय लिया जाता है, तो वह टाइप ए महिला—पुरूष दोनों के लिए सुगम्य शौचालय होगा ।

जहां, एक से अधिक सुगम्य शौचालय उपलब्ध कराए जाएंगे, भिन्न विकल्प मौजूद रहेंगे ।

11.8.1 जहां स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, निम्नलिखित भी लागू होंगे:

- क) कोने में डब्ल्यू.सी. लगे होने के साथ टाइप 'ए' का कम से कम एक महिला—पुरूष दोनों के लिए व्हीलचेयर अनुकूल सगम्य शौचालय, जिसमें हमेशा एक वॉशबेसिन होगा ।
- ख) लोगों की आवाजाही और स्थान को ध्यान में रखते हुए एकल शौचालय ब्लॉक (पुरूष और महिला शौचालय ब्लॉक) में एक सुगम्य शौचालय (टाइप ए अथवा टाइप बी) की व्यवस्था की जाएगी ।
- ग) जब टाइप बी के एक से अधिक सुगम्य कॉर्नर शौचालय की योजना तैयार की जाती है, तो बाएं तरफ और दाएं तरफ के हस्तांतरण के लिए उपयुक्त ले—आउट के चयन की व्यवस्था की जाएगी । यदि इस प्रकार के शौचालय बहुमंजिला भवन के प्रत्येक तल पर समान स्थान पर अवस्थित हों तो बारी—बारी से अलग—अलग तलों पर दाएं और बाएं तरफ हस्तांतरण की अनुमति होनी चाहिए।

किसी भी मामले में महिला और पुरूष दोनों के लिए सुगम्य टाइप

फिक्स किया जाएगा। सिन्नकट दीवार से शौचालय की सेंटरलाइन अन्य दीवार से 440 एम एम और न्यूनतम 0.95 मी. होगी। दरवाजे के पूरा खुलने का न्यूनतम आकार 0.78 मी. होगा।

11.8.5 बड़ी व्हील चेयर का उपयोग करने वाले नॉन ऐम्बूलेंट निशक्त जन के लिए निर्मित किए गए शौचालय:

शौचालयों का न्यूनतम आकार प्रवेश द्वार के लिए 1. 75 मी. की न्यूनतम गहराई के साथ 1.5 x 1.75 मी. होगा। शौचालय के निकट वाली साइड दीवार पर 0. 9 मी. लंबी हैंडरेल की व्यवस्था की जाएगी। व्हील चेयर के लिए मूवमेंट स्पेस की व्यवस्था करने हेतु, डब्ल्यू.सी. सीट को दूसरी तरफ की दीवार के एक ओर की तरफ फिक्स किया जाएगा। सन्निकट दीवार से शौचालय की सेंटरलाइन अन्य दीवार से 0.4 मी. और न्यूनतम 1.1 मी. होगी। दरवाजे के पूरा खुलने का न्यूनतम आकार 0.86 मी. होगा।

ए के शौचालय भूतल पर उपलब्ध कराए जाने चाहिए ताकि बाईं और दाईं तरफ दोनों के हस्तांतरण की आवश्यकता पूरी हो सके।

- घ) चलने में असमर्थ लोगों के उपयोग के लिए सभी पृथक शौचालय/सेनिटरी रूम में एक क्यूबिकल का प्रावधान होना चाहिए । ड.) जहां मूत्रालय उपलब्ध कराए गए हों, वहां व्हीलचेयर उपयोग करने वालों और चलने में असमर्थ लोगों के लिए मूत्रालय होने चाहिए ।
- च) जहां किसी भवन में केवल एक शौचालय अथवा सेनिटरी रूम की आवश्यकता हो, वहां न्यूनतम 2 मी. X 2.2 मी. के स्टैंडिंग ऊँचाई के वॉश बेसिन लगाने के साथ व्हीलचेयर सुगम्य महिला और पुरूष दोनों के लिए टाइप 'ए' शौचालय की व्यवस्था की जानी चाहिए । महिला और पुरूष दोनों के लिए सुगमय शौचालय में कोई मूत्रालय उपलबध नहीं कराया जाना चाहिए ।
- छ) सुगम्य शौचालयों की व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिए कि किसी व्हीलचेयर उपयोगकर्ता/चलने में असमर्थ व्यक्ति को एक ही तल पर 30 मी. से अधिक नहीं चलना पडे ।
- ज) शौचालय सुविधाओं के डिजाइन में सभी लोगों के उपयोग की आसानी शामिल होनी चाहिए और फिटिंग्स की अवस्थिति में एक तार्किक क्रम का पालन किया जाना चाहिए ।
- झ) दृष्टिबाधित उपयोगकर्ताओं को भ्रम और चकाचौंध से बचाने के लिए शीशों और लाइटों को लगाने का ध्यान रखा जाना चाहिए ।
- ज) सोप डिस्पेंसर और तौलिए अथवा ड्रायर, अधिकतम 800 मि.मी. की ऊँचाई पर रखे जाने चाहिए, ताकि उन तक पहुंच, पहचान और उपयोग आसान हो ।
- ट) दृष्टिभेद और प्रकाश, आपातकाल सहायता अलार्म, एन. बी.सी.सी. के अनुसार होने चाहिए ।
- ठ) यदि बटन अथवा टैप जैसी सुविधाओं की व्यवस्था की गई हो, जो सेंसर के उपयोग से संचालित होती हो, इसे समझाने के लिए सुगम संकेतक उपलब्ध कराए जाने चाहिए । दृष्टिबाधित लोगों के लाभ हेतु सभी सामान्य शौचालयों में उभरे हुए अक्षरों और ब्रेल लिपि में दरवाजे के पास अधिमानतः बाईं तरफ की दीवार पर संकेतक दिए जाने चाहिए । दरवाजे पर 1500 मि.मी. ऊँचाई पर एक अतिरिक्त संकेतक लगाया जाना चाहिए ।
- ड) बहुत से दृष्टिबाधित व्यक्ति ऐसे शौचालयों का उपयोग करना आसान पाते हैं, जहां मानक आंतरिक आयाम, एक्सेसरीज और फिक्सचर हों । दीवार पर 900 मि.मी. ऊँचाई पर चिटकनी के पास शौचालय का टैक्सटाइल ले—आउट लगाया जाना चाहिए।
- ढ) एक विशिष्ट श्रव्य ध्वनि (बीपर / क्लेपर) को प्रवेश द्वार के ऊपर लगाया जा सकता है, ताकि दृष्टिबाधित व्यक्ति शौचालय की पहचान कर सके।

11.8.2 दोनों तरफ से पार्श्विक हस्तांतरण सहित टाइप 'ए' शौचालय ।

11.8.2.1 टाइप 'ए' सुगम्य शौचालयों में निम्नलिखित अपेक्षाएं पूरी की जाएंगी :

- क) इसका न्यूनतम आंतरिक आयाम 2200 मि.मी. X 2000 मि.मी. होगा ।
- ख) शौचालय में फिक्सचर का ले–आउट इस प्रकार का होना चाहिए, जिसमें चलने का पर्याप्त स्थान हो, जिसमें सुगम्य

- शौचालय इकाई में वाटर क्लोज़ेट और वॉश बेसिन के सामने 1800 मि.मी. का व्हीलचेयर के घुमने का व्यास उपलब्ध हो ।
- ग) इसमें सभी फिक्सचर और सुविधाएं इस प्रकार लगे होंगे कि व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं की सुगमता के लिए 1500 मि.मी. \mathbf{X} 1500 मि.मी. का खाली स्थान उपलब्ध हो ।
- घ) इसमें वाटर—क्लोज़ेट की अगली तरफ 900 मि.मी. से अधिक का खाली स्थान होना चाहिए ।
- ड.) इसमें दरवाजे की चौखट को छोड़कर 900 मि.मी. से अधिक चौड़ा दरवाजा खुलने का स्थान होगा ।
- च) इसमें एन.बी.सी. के अनुपालन में एक वाटर—क्लोज़ेट, ग्रैब बार एवं वॉश बेसिन, अनिवार्य वॉशरूम एक्सेसरीज, आपातकालीन सहायता हेतु एक अलार्म होना चाहिए।
- छ) टॉयलेट रोल डिस्पेंसर तथा हैंड वाटर फॉसेट ग्रैब बार के नीचे तथा सीट के आगे के भाग से 300 मि.मी. तक की दूरी पर तथा वाटर—क्लोज़ेट सीट के ऊपर 50 मि.मी. से 200 मि.मी. के बीच होने चाहिए।
- ज) कपड़ों के हुक अलग—अलग ऊँचाई पर 800 मि.मी. से 1000 मि.मी. के बीच तथा इसके अतिरिक्त कम से कम एक हुक 1400 मि.मी. की ऊँचाई पर होना चाहिए तथा दीवार पर 40 मि. मी. से अधिक निकला नहीं होना चाहिए ।
- झ) जहां संभव हो, 400 मि.मी. X 200 मि.मी. के परिमाप वाली एक अलमारी फर्श से 800 मि.मी. और 1000 मि.मी. के बीच की ऊँचाई पर लगाई जानी चाहिए।

11.8.3 केवल एक तरफ से पार्श्विक अंतरण सहित टाइप बी प्रकार के शौचालय ।

टाइप-बी शौचालय में निम्नलिखित विशेषताएं हैं :-

- क) 2200 मि.मी. X 2000 मि.मी. का न्यूनतम आंतरिक आकार वाली एक साइड से केवल पार्श्विक अंतरण;
- ख) वॉश बेसिन द्वारा कम किया गया मनूवरिंग स्पेस;
- ग) तल निकास, जहां आवश्यक हो, सहित वाटर-क्लोज़ेट के पास अलग जल आपूर्ति;
- घ) शौचालय में बैठे हुए छोटे वॉश बेसिन तक पहुंचने का सामर्थ्यः
- ड.) वाटर-क्लोज़ेट के पास दीवार पर क्षैतिज ग्रेब रेल;
- च) उठने और बैठने के लिए वाटर—क्लोज़ेट के पास दीवार पर लम्बवत् ग्रैब रेल (एक तरफा ग्रैब रेल को पसंद नहीं किया जाता);
- छ) मोडने योग्य यु आकार का ग्रैब बार; और
- ज) वाटर-क्लोज़ेट के पास दीवार पर फिक्स्ड टॉयलेट पेपर डिस्पेंसर ।

11.8.4 टॉयलेट रूम और सैनेटरी रूम के लिए ग्रैब बार ;

लागू एन.बी.सी. मानदंड के अनुसार ग्रैब बार टॉयलेट अथवा सैनेटरी रूप में इस खंड के अनुसार प्रदान किए जाएंगे ।

एक शौचालय के दोनों तरफ, शौचालय की सेंटरलाइन से 350 मि.मी. और 500 मि.मी. के मध्य दूरी में एक ग्रैब बार (चाहे ड्रॉप—डाउन हो या दीवार में फिक्सड हो) की व्यवस्था की जाएगी।

किनारों पर जहां पार्श्विक अंतरण संभव है, मोड़ने योग्य ग्रैब बार (ड्रॉप—डाउन सपोर्ट बार) वाटर क्लोज़ेट के ऊपर 200 मिमी. से 300 मिमी. की ऊँचाई पर प्रदान की जाएगी।

		मोड़ने लायक ग्रैब बार की लंबाई वाटर—क्लोज़ेट के आगे के सिरे से 100 मिमी. और 250 मिमी. के बीच ढकी होनी चाहिए । मोड़ने योग्य ग्रैब बार की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि उसमें एक व्हीलचेयर मोड़कर लाया जा सके ।
		जहां शौचालय के पास दीवार हो, वहां वाटर क्लोज़ेट के ऊपर 200 मिमी. से 300 मिमी. की ऊँचाई पर एल—आकार की ग्रैब बार (आकार 700 मिमी. लंबाई और 700 मिमी. ऊँचाई) पर प्रदान की जाएगी ।
		ग्रैब बार को वाटर—क्लोज़ेट के सामने के किनारे तक कम से कम 150 मिमी. की दूरी तक बढ़ाया जाएगा ।
		उपसाधनों जैसे हाथ का तौलिया, साबुन, कूड़ा दान आदि को ग्रैब बार के उपयोग में रूकावट नहीं डालें ।
		बच्चों हेतु शौचालयों के लिए ग्रैब बार की ऊँचाई 510 मिमी. और 635 मिमी. के मध्य होनी चाहिए।
39	11.11 आश्रय (रीफ्यूज)	11.11 आश्रय (रीफ्यूज)
	(ग) तल स्तर से 0.9 मी. और 1.2 मी. के मध्य स्थापित अलार्म स्विच।	ग. तल स्तर से 300 मिमी. और 900 मिमी. के मध्य स्थापित अलार्म स्विच।
		घ. आश्रय (रीफ्यूज) के निकटतम सभी सीढ़ियां हैंडरेल के मध्य 1500 मिमी. की स्पष्ट चौड़ाई के साथ होंगी ।
40		11.13 ऑडिटोरियम संगीत समारोह हॉल, क्रीड़ा क्षेत्र और ऐसे समान क्षेत्र में बैठने की व्यवस्था ।
		11.13.1 व्हीलचेयर का उपयोग करने वालों के लिए बैठने का निर्दिष्ट स्थान :
		व्हीलचेयर का उपयोग करने वालों क लिए न्यूनतम दो के साथ सीटों का कम से कम 1 प्रतिशत बैठने के स्थान के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा ।
		51 से अधिक कुल सीटों के लिए निम्नलिखित पद्धति से निर्दिष्ट सीटिंग स्थानों की व्यवस्था करने की सिफारिश की जाती है :
		क) 51 से 100 तक कुल सीटों में, व्हीलचेयर का उपयोग करने वालों के लिए कम से कम तीन निर्दिष्ट सीटिंग एरिया ;
		ख) 101 से 200 तक कुल सीटों में, व्हीलचेयर का उपयोग करने वालों के लिए कम से कम चार निर्दिष्ट सीटिंग एरिया ;
		ग) प्रत्येक दो सौ अतिरिक्त सीटों अथवा उसके भाग के लिए एक अतिरिक्त सीटिंग एरिया की व्यवस्था की जाएगी ।
		इन स्थानों को अन्य सीटों के मध्य समाहित किया जाना चाहिए और दो व्हीलचेयर का उपयोग करने वालों को एक साथ बैठने की अनुमति होनी चाहिए । यह सिफारिश की जाती है कि पंक्ति के अंत में सीटों के हत्थे उठाए जा सके ताकि व्यक्तियों को व्हीलचेयर से एक सीट तक स्थानांतरण करने में सुविधा हो । व्हीलचेयर का उपयोग करने वाले समूह को स्थान देने के लिए
		फिक्स्ड सीटों वाले ऑडिटोरियम में कम से कम 15 सीटें मोड़ने योग्य अथवा हटाने योग्य हो ताकि आवश्यकता पड़ने पर व्हीलचेयर का उपयोग करने वालों के लिए निर्दिष्ट स्थानों की

संख्या बढाई जा सके।

कुछ सीटों की चौड़ाई अधिक होनी चाहिए ताकि बड़े आकार के व्यक्तियों को ठीक प्रकार से बैठने में स्विधा हो ।

11.13.2 स्गम्य चेंजिग रूम

भवन के प्रकार और उपयोग के आधार पर कम से कम सुगम्य चेंजिंग रूम की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

उस स्थिति में जब चेंजिंग रूम की व्यवस्था टॉयलेट एरिया के साथ हो, तब प्रचलित एन.बी.सी. के अनुसार विनिर्दिष्टयों के अनुरूप होने चाहिए ।

एक फिक्स्ड बेंच तल स्तर से 450 मि.मी. से 480 मि.मी. तक की ऊँचाई पर स्थापित की जानी चाहिए । बेंच चौडाई में 500 मि.मी., लंबाई में 2000 मि.मी. से कम नहीं होनी चाहिए और दीवार से 50 मि.मी. और 65 मि.मी. के बीच की दूरी के साथ 700 मि.मी. से 800 मि.मी. की ऊँचाई तक ग्रैब बार सहित स्थापित की जानी चाहिए ।

बेंच के पास 1500 मि.मी.X1500 मि.मी. की खाली जगह छोड़ी जानी चाहिए।

800 मि.मी. से 1000 मि.मी. तक की अलग—अलग ऊँचाई पर कोट हुक लगाए जाने चाहिए और इसके अतिरिक्त कम से कम एक हक 1400 मि.मी. की ऊँचाई पर होना चाहिए ।

कोट हुक, बेंच, लॉकर, हैंडल और अन्य साज—सामान अपनी पृष्ठभूमि में अच्छे रंग और अच्छी चमक वाले होने चाहिए। फिसलन रहित तल सतह का उपयोग किया जाना चाहिए और अच्छे प्रकाश के साथ चमक रहित निर्मित सतह और साज—सामान की व्यवस्था की जानी चाहिए।

एक अलार्म / कॉल बेल / स्विच की व्यवस्था एन.बी.सी. के अनुसार की जाएगी।

चेंजिंग रूम न्यूनतम ४ वर्ग मीटर क्षेत्रफल के होंगे ।

11.13.3 असेंबली एरिया में दर्शक दीर्घा : फ्लोर एरिया

व्हीलचेयर दर्शक दीर्घा के लिए फ्लोर एरिया यात्रा के सुगमय रास्ते से जुडा होगा और निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करेगा :

- क. यह कम से कम 900 मि.मी.X1400 मि.मी. का होगा;
- ख. पंक्ति की दूरी न्यूनतम 2400 मि.मी. होगी;
- ग. उसकी सतह साफ और समतल होगी;
- घ. इसमें पर्याप्त चलने का (मूनवरिंग) स्थान होगा;
- ड. कुछ व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए स्थान की व्यवस्था की जाएगी । व्हीलचेयर उपयोगकर्ता को अपने सहयोगी व्यक्ति, यदि जरूरी हो, के साथ रहने के लिए नियमित सीट पंक्ति के पास स्थान दिया जाएगा; और
- च. यह अनुशंसा की जाती है कि पंक्ति (गलियारा सीट) के छोर पर सीटों के आर्म रेस्ट को व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं को व्हीलचेयर से सीट पर जाने देने के लिए उठाया जाएगा ।

कुछ सीटों में स्थानांतरण को ध्यान में रखते हुए फोल्डेबल आर्मरेस्ट लगाए जाने चाहिए; कुछ अन्य सीट बड़े आकार के व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए चौड़ी होनी चाहिए ।

41	फार्मों की सूची	फार्मों की सूची	
	(अनुलग्नक—बी—8 में विद्यमान)	(अनुलग्नक—बी—8 में संशोधित)	
	सामान्य आवेदन पत्र और घोषणा प्रफोर्मा		
42		शामिल करना—	
		अन्तर्निहित दोष उत्तरदायित्व यू.बी.बी.एल 2016 के उप खण्ड 2. 10 के अनुसार लिया जाएगा ।	
43		अनुलग्नक :	
		(4)क. कार्य आरंभ करने की अनंतिम तिथि । ख. कार्य पूरा करने की अनंतिम तिथि ।	
		(५) क. दि.ज.बो. के विद्यमान कनेक्शन के लिए: कनेक्शन संख्या ।	
		ख. दि.ज.बो. से नवीन कनेक्शन के लिए:	
		ऑनलाइन भवन अनुमति प्रणाली के सी.ओ.सी.सी.आर.एफ. पर	
		आवेदन करें ।	
		(६) सर्विस प्लान, यथा लागू (अध्याय १, उप खण्ड–१.4.६)।	
44		टिप्पणी :	
		ii) कार्य आरंभ करने का नोटिस संस्वीकृत प्राधिकारी के संबंधित कार्यालय(यों) को प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।	
45		घोषणा प्रोफॉर्मा	
		प्रोफेशनल की नियुक्ति का प्रमाण-पत्र	
		5) कि सार्वजनिक भवनों, आधारिक संरचना आदि के संबंध में	
		दिव्यांगों, बुजुर्ग व्यक्तियों और बच्चों के लिए यूनीवर्सल डिजाइन हेतु यूबीबीएल, 2016 अध्याय 11 में दिए गए प्रावधानों में यथा	
		निर्धारित सभी निर्धारित बाधामुक्त आवागमन और सुगम्यता	
		विशेषताओं का भवन नक्शे / शों में सम्मिलित किया गया है ।	
	फार्म—डी—1 अधिभोग एवं कार्य समापन प्रमाणपत्र /		
		·	
		एवं कार्य समापन प्रमाण-पत्र	
46	आपके दिनाक के समापन की सचना के संदर्भ में मैं एतदद्वारा प्रमाणित करता हं	दिनांक के समापन की सूचना के संदर्भ में, यह प्रमाणित किया जाता है कि नीचे दिए गए विवरण के अनुसार	
	कि निम्नलिखित विवरण के अनुसार भवन और	भवन और प्रमाणित नक्शों, जिनका एल.ओ.पी	
	के प्रमाणीकृत नक्शे जिनके एल.ओ. पी. एवं भवन नक्शे दिनांकके	और भवन नक्शे पत्र सं दिनांक दिनांक के द्वारा संस्वीकृत किए गए थे तथा	
	पत्र सं द्वारा संस्वीकृत किए	दिल्ली नगर कला आयोग/दिल्ली अग्निशमन सेवा और अन्य	
	गए थे तथा दिल्ली नगर कला आयोग/दिल्ली	सांविधिक निकायों द्वारा यथा अनुमोदित समापन प्रमाण-पत्र के	
	अग्निशमन सेवा से यथा अनुमोदित समापन प्रमाणपत्र के अनुसार अनापति प्रमाण पत्र को अनुमोदित किया	लिए अनापत्ति प्रमाण–पत्र है, ओ.सी.सी./आंशिक ओ.सी.सी. को दिनांकको भवन उप–विधि, दि.मु.यो. प्रावधानों,	
	गया है। भवन निर्माण उप–नियम के संदर्भ में स्थल	अंदर की ओर और आस–पास में स्वच्छता और सेनेटरी स्थिति के	
	का निरीक्षण किया गया है, उसमें और उसके आसपास स्वास्थ्यप्रद और स्वच्छ वातावरण है और	संदर्भ में स्थल निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार अनुमोदित किया गया और इसे अधिभोग के लिए सही घोषित किया गया ।	
	इसे अधिभोग के लिए ठीक घोषित किया गया है।		
	फार्म—बी—1	फार्म–बी–1	
47	संस्वीकृति देना/मना करना	संस्वीकृति देना / मना करना	
		(नया निर्माण / संशोधित संस्वीकृति / परिवर्तन / परिवर्धन)	
48	दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 12 के	दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 12 और धारा 13 के	
	अंतर्गत संस्वीकृति	अंतर्गत संस्वीकृति	

49	2. निर्माण कार्य को संस्वीकृत नक्शे के अनुसार पूरा किया जाएगा और बिना पूर्व संस्वीकृति के उपविधियों से कोई भी विचलन अनुमत नहीं होगा । उपविधियों के विरूद्ध किए गए किसी भी विचलन के निर्माण कार्य को गिराया जा सकता है और पर्यवेक्षक वास्तुकार जिसे कार्य के लिए नियुक्त किया है, पर उसका लाइसेंस रद्द होने की जिम्मेदारी होगी।	2. यह प्लॉट स्वामी और नक्शा तैयार कर रहे वास्तुकार का कर्त्तव्य है कि वे यह सुनिश्चित करे कि संस्वीकृत नक्शे प्रचलित भवन निर्माण उपविधि के अनुसार तैयार किए गए हैं ।
50	3. भवन निर्माण उपविधि का उल्लंघन असमाधेय होगा ।	 यू.बी.बी.एल. 2016 के सभी प्रावधानों का पालन करना होगा । भवन निर्माण उपविधि का उल्लंघन असमाधेय होगा ।
51	4. यह प्लॉट स्वामी और नक्शा तैयार कर रहे वास्तुकार का कर्तव्य है कि वे यह सुनिश्चित करे कि संस्वीकृत नक्शे प्रचलित भवन निर्माण उपविधि के अनुसार हैं । यदि भवन उपविधि के किसी भी उल्लंघन पर ध्यान नहीं दिया गया तो दि.वि.प्रा. के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि उल्लंघन की जानकारी मिलते ही वह नक्शों में संशोधन करे और इसके कारण दि.पि.प्रा. को किसी भी प्रकार के दावे के प्रति क्षतिपूर्ति की जाएगी ।	4. निर्माण कार्य को संस्वीकृत नक्शे के अनुसार पूरा किया जाएगा और बिना पूर्व संस्वीकृति के उपविधियों से कोई भी विचलन अनुमत नहीं होगा । उपविधियों के विरुद्ध किए गए किसी भी विचलन के निर्माण कार्य को गिराया जा सकता है और पर्यवेक्षक वास्तुकार जिसे कार्य के लिए नियुक्त किया है, पर उसका लाइसेंस रद्द होने की जिम्मेदारी होगी । सुधार के मामले में इसे स्वामी की लागत पर किया जाएगा और इस कारण किए गए किसी दावे के लिए संस्वीकृति प्रदाता प्राधिकारी को क्षतिपूर्ति की जाएगी ।
52	8. पार्टी परियोजना के अनुमोदित मानदंडों के अनुसार ही घर को प्रत्येक तल की आवासीय इकाइयों में परिवर्तित करेगी और इन परिसरों का उपयोग केवल रिहायशी उद्देश्य के लिए किया जाएगा ।	8. पार्टी परिसर का निर्माण केवल उस उद्देश्य के लिए करेगी, जिसके लिए संस्वीकृति प्रदान की गई है।
53	9. भवन का निर्माण, भारतीय विद्युत नियमों में विनिर्दिष्ट और दिल्ली विद्युत बोर्ड की आवश्यकताओं के अनुसार स्थल की किसी भी तरफ बिछी हुई वोल्टेज लाइनों से न्यूनतम आवश्यक दूरी रखते हुए किया जाएगा ।	9. भवन का निर्माण, भारतीय विद्युत नियमों में विनिर्दिष्ट और पॉवर डिस्ट्रीब्यूटर की अपेक्षाओं के अनुसार स्थल की किसी भी तरफ बिछी हुई वोल्टेज लाइनों से न्यूनतम आवश्यक दूरी रखते हुए किया जाएगा ।
54	11. बाहरी दीवारों की चौड़ाई कम से कम 0.23 मीटर (9'') होगी ।	11. बाहरी दीवारों की चौड़ाई संस्वीकृति नक्शे के अनुसार रखी जाएगी।
55	12. मूलभूत स्तरों को निर्माण कार्य के स्थल से संबंधित अधिकारी से सुनिश्चित करा लें ।	12. मूलभूत स्तरों को निर्माण कार्य के स्थल पर संबंधित कर्मचारी / प्राधिकारी से सुनिश्चित करा लें ।
	16. निर्माण कार्य के दौरान स्वामी एवं वास्तुकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संस्वीकृत भवन नक्शें इन उप–िनयमों के अध्याय–3 अनुलग्नक– XIV और समय–समय पर यथा संशोधित अथवा सरकार द्वारा जारी किए गए कोई विशिष्ट आदेशों की भवन एवं निर्माण हेतु सभी पर्यावरणीय शर्तों को पूरा करते हैं ।	16. निर्माण कार्य के दौरान स्वामी एवं वास्तुकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संस्वीकृत भवन नक्शें इन उप—नियमों के अध्याय—3 अनुलग्नक—XIV और समय—समय पर यथा संशोधित अथवा सरकार अथवा न्यायालय/यों द्वारा जारी किए गए कोई विशिष्ट आदेशों की भवन एवं निर्माण हेतु सभी पर्यावरणीय शर्तों को पूरा करते हैं।
56		टिप्पणी : सूचना एवं निम्नलिखित द्वारा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिलिपि प्रेषित । i. दिल्ली जल बोर्ड ii. श्रम विभाग iii. फैक्ट्री के मुख्य निरीक्षक iv. नियमों के अनुसार अन्य बाह्य एजेंसियां (यदि लागू हो)

	सामान्य अधिभोग एवं समापन अनुरोध फार्म		
57		iv. क. दिल्ली जल बोर्ड के विद्यमान कनेक्शन के लिए : कनेक्शन नम्बर ।	
		ख. दिल्ली जल बोर्ड के नवीन कनेक्शन के लिए : ऑनलाइन आवेदन करें ।	
		अनुलग्नक-I	
58	अनुलग्नक-I	अनुलग्नक-I	
	प्रोफेशनल की अर्हता और सक्षमता	प्रोफेशनल की अर्हता और सक्षमता	
		(संशोधन)	
	(ख) अभियंता :	(ख) अभियंता :	
	अभियंता के लिए न्यूनतम अईता किसी मान्यताप्राप्त भारतीय अथवा विदेशी विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरी / वास्तुकला इंजीनियरी में स्नातक होगी अथवा वह सिविल इंजीनियरी प्रभाग / वास्तुकला इंजीनियरी अथवा मान्यता प्राप्त भारतीय अथवा विदेशी विश्वविद्यालय, दी इन्स्टट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इण्डिया) अथवा ऐसे व्यवसाय, यदि कोई हो को शासित करने वाले सांविधिक निकाय का सदस्य हो।	अभियंता के लिए न्यूनतम अर्हता किसी मान्यताप्राप्त भारतीय अथवा विदेशी विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरी/वास्तुकला इंजीनियरी में स्नातक होगी जो उसे इंन्स्टिट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इण्डिया) की कॉरपोरेट सदस्यता और इंन्स्टिट्यूट ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) अथवा ऐसे व्यवसाय को शासित करने वाले अथवा सांविधिक निकाय की सदस्यता का पात्र बनाए। यदि कोई हो, 2 वर्ष के न्यूनतम अनुभव सिहत ।	
59	घ. पर्यवेक्षक :	घ. पर्यवेक्षक :	
	पर्यवेक्षक के लिए न्यूनतम अर्हताएं सिविल इंजीनियरी में डिप्लोमा अथवा वास्तुकला में असिस्टेंटिशिप अथवा वास्तुकला अथवा इंजीनियरी में योग्यता होगी, जो भारत सरकार द्वारा अराजपत्रित सेवाओं की भर्ती हेतु निर्धारित न्यूनतम योग्यता के समकक्ष है तथा इसके अतिरिक्त बिल्डिंग डिजाइन, निर्माण और पर्यवेक्षण में पांच वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए।	पर्यवेक्षक के लिए न्यूनतम अर्हताएं सिविल इंजीनियरी में डिप्लोमा अथवा वास्तुकला में असिस्टेंटशिप अथवा वास्तुकला अथवा इंजीनियरी में योग्यता होगी, जो भारत सरकार द्वारा अराजपत्रित सेवाओं की भर्ती हेतु निर्धारित न्यूनतम योग्यता के समकक्ष है तथा इसके अतिरिक्त बिल्डिंग डिजाइन, निर्माण और पर्यवेक्षण में पांच वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए।	
	3	नुलग्नक-III	
60	शुल्क एवं प्रभार	शुल्क एवं प्रभार	
	क. बिल्डिंग परमिट शुल्क :	क. बिल्डिंग परमिट शुल्क :	
	संस्वीकृत संशोधित बिल्डंग परिमट शुल्क सभी बिल्डंगों की संस्वीकृति/ समापन/नियमन कवर्ड क्षेत्रफल (बेसमेंट, फ्लोर, स्टिल्ट फ्लोर सहित) के 10 रु. प्रति वर्ग मी. की दर से	 संस्वीकृत संशोधित बिल्डंग परिमट शुल्क सभी बिल्डंगों की संस्वीकृति/ समापन/नियमन निर्मित क्षेत्रफल (बेसमेंट, फ्लोर, स्टिल्ट फ्लोर सिहत) के 10 रु. प्रति वर्ग मी. की दर से परिकलित किए जाएंगे। 	
	परिकलित किए जाएंगे।	भण्डारण भवन/मालगोदाम/गोदामों के मामले में शुल्क निर्मित क्षेत्रफल (बेसमेंट फ्लोर, स्टिल्ट फ्लोर सहित) के 2/-रु. प्रति वर्ग मीटर की दर से परिकलित किया जाएगा ।	
	iv. ले आउट/भूमि उप विभाजन/ अनुमोदन हेतु शुल्क 10,000/— रु. प्रति एकड की दर से परिकलित किया जएगा और उसके किसी भाग के लिए भी समान होगा।	iv. ले आउट/भूमि उप विभाजन/ अनुमोदन हेतु शुल्क 10,000/— रु. प्रति एकड की दर से परिकलित किया जएगा और उसके किसी भाग के लिए भी समान होगा। (भण्डारण भवन/मालगोदामों/गोदामों के मामले में 1000/—रु. की दर से)	

61	ख. स्टेकिंग प्रभार		ख. स्टेकिंग प्रभार	
		00 वर्ग मीटर तक आकार के प्लॉट	(i) बेसमेंट और स्टिल्ट सहित प्रस्तावित निर्मित क्षेत्र का 20/— रु. प्रति वर्ग मीटर	100 वर्ग मीटर तक के आकार के प्लॉट
	(ii) बेसमेंट और स्टिल्ट 10 सहित प्रस्तावित कवर्ड क्षेत्र मी	00—2000 वर्ग १टर से अधिक १कार के प्लॉट	(ii) बेसमेंट और स्टिल्ट सहित प्रस्तावित निर्मित क्षेत्र का 50/— रु. प्रति वर्ग मीटर	100—2000 वर्ग मीटर से अधिक आकार के प्लॉट
	मीटर (iii) 2000 वर्ग मीटर से अधिक के लिए सामग्री प्लॉट क्षेत्र के व		(iii) बेसमेंट और स्टिल्ट सहित प्रस्तावित निर्मित क्षेत्र का 5/ –रु. प्रति वर्ग मीटर की दर से	भण्डारण भवन / मालगोदाम / गोदाम
	की जाएगी।	भारतर हा इकार्जा	(iv) 2000 वर्ग मीटर से अधिक आकार के प्लॉट के लिए सामग्री प्लॉट क्षेत्र के भीतर ही इकट्ठी की जाएगी।	
62	2.1.1. परिधीय प्रभार :		2.1.1. परिधीय प्रभार :	
	परिधीय प्रभारों का भुगतान सहकारी भवन निर्माण सोसाइटी ग्रुप IV के भूखंड —स्वामी द्वारा, दि.वि.प्रा. द्वारा ऐसी सेवाएं बिछाने के लिए 70 /— रुपये (माननीय न्यायालय के आदेशों ओर परिणामी कार्यालय आदेश संख्या 80, दिनांक 12.06.03 को ध्यान में रखते हुए) प्रति वर्ग मीटर की दर से निवल प्लॉट क्षेत्रफल के लिए भवन नक्शों की संस्वीकृति के समय किया जाएगा। इसके अलावा पृथक प्लॉट स्वामी का भवन नक्शों को प्रस्तुत करने के समय परिधीय प्रभारों को जमा करने के लिए निर्धारित प्रारूप मं एक वचनबंध प्रस्तुत करना होगा। फॉर्म ए—11		परिधीय प्रभारों का भुगतान सहकारी IV के भूखंड —स्वामी द्वारा, दि.वि.प्रा. लिए 70/— रुपये (माननीय न्यायाल कार्यालय आदेश संख्या 80, दिनांक हुए) प्रति वर्ग मीटर की दर से निभवन नक्शों की संस्वीकृति के समय पृथक प्लॉट स्वामी का भवन नक्शों परिधीय प्रभारों को जमा करने के विचनबंध प्रस्तुत करना होगा।	द्वारा ऐसी सेवाएं बिछाने के य के आदेशों ओर परिणामी 12.06.03 को ध्यान में रखते वल प्लॉट क्षेत्रफल के लिए किया जाएगा। इसके अलावा को प्रस्तुत करने के समय
		अ	नुलग्नक -X	
63	क. सौर फोटोवोल्टिक पैनलों	की स्थापना	क. सौर फोटोवोल्टिक पैनलों र्क	ो स्थापना
	सौर फोटोवोल्टिक (पीवी) प्रणालियां, प्रत्यक्ष ऊर्जा रूपांतरण प्रणालियां हैं जो सौर विकिरण को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं। भवनों की छतों के साथ—साथ अन्य खुले स्थानों जैसे पार्किंग शेड पर सौर पीवी प्रणाली को स्थापित किया जा सकता है।		सौर फोटोवोल्टिक (पीवी) प्रणालियां, प्रत्यक्ष ऊर्जा रूपांतरण प्रणालियां हैं जो सौर विकिरण को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं। भवनों की छतों के साथ—साथ अन्य खुले स्थानों जैसे पार्किंग शेड, उर्घ्वाधर/सीधी दीवारों, खिड़कियों पर सौर पीवी प्रणाली को स्थापित किया जा सकता है।	
64			 सौर फोटोवोल्टिक पैनलों के लिए अपेक्षित न्यूनतम क्षेत्रफल। 	
			(अनुलग्नक—सी)	
अनुलग्	नक—'ए'			
I		<u>~</u>		

तालिका 11.1 : रैम्प के लिए न्यूनतम विनिर्देशन :

लेवल अंतर	रैम्प की न्यूनतम ढ़ाल	रैम्प की चौड़ाई	दोनों ओर की हैंडरेल	टिप्पणियां
≥ 150मि.मी.	1:12	1200 मि.मी.	V	
≤ 300मि.मी.				
≥ 3000मि.मी.	1:12	1500 मि.मी.	V	रैम्प के प्रत्येक 5 मी. पर लैंडिंग

≤ 750मि.मी.				
≥ 750मि.मी.	1:15	1800 मि.मी.	V	रैम्प के प्रत्येक 9 मी. पर लैंडिंग
≤ 3000मि.मी.				
≥ 3000मि.मी.	1:20	1800 मि.मी.	V	रैम्प के प्रत्येक 9 मी. पर लैंडिंग

अनुलग्नक—'बी'

फॉर्म की सूची-विद्यमान

फार्म सं.	शीर्ष	हस्ताक्षरकर्ता
ए−1	डिजाइन एवं विर्निदिष्टियों के अनुसार एक भवन में निर्माण करने, पुननिर्माण करने, निर्माण गिराने अथवा सामग्री के परिवर्तन करने के लिए आवेदन पत्र	स्वामी
ए−2	पेशेवरों की नियुक्ति का प्रमाणपत्र (वास्तुकार / अभियंता* / संरचना अभियंता / पर्यवेक्षक)	(i) वास्तुकार अभियंता* (ii) संरचना अभियंता
		(iii) पर्यवेक्षक
		(iv) मालिक
 - - - - - - - - - 	विशेष प्लॉट पर विकास हेतु बहु—अभिलक्षण के अनुरोध के लिए आवेदन पत्र	स्वामी
ए−4	संरचनात्मक सुरक्षा का प्रमाण पत्र	(i) संरचना अभियंता
		(ii) स्वामी
ए−5	हरित भवन विशेषताओं के समावेश के लिए प्रमाण पत्र	(i) वास्तुकार/अभियंता
		(ii) स्वामी
∇–6	पर्यवेक्षण, कोई अभद्र नहीं और मलबा हटाने के लिए	(i) स्वामी
	प्रमाण पत्र	(ii) पर्यवेक्षक
ए−7	बेसमेंट के लिए क्षतिपूर्ति बंध	स्वामी
बी—1	संस्वीकृति देना / मना करना	प्राधिकरण / संबंधित स्थानीय निकाय
बी-2	पुनर्वैधीकरण करना / मना करना	प्राधिकरण/ संबंधित स्थानीय निकाय
सी—1	प्लिन्थ लेवल तक कार्य समापन की सूचना	वास्तुकार / अभियंता / पर्यवेक्षक
सी—2	सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय द्वारा प्लिन्थ लेवल तक की निरीक्षण रिपोर्ट	प्राधिकरण / संबंधित स्थानीय निकाय
डी−1	भवन समापन की सूचना	 स्वामी संरचना अभियंता वास्तुकार / अभियंता पर्यवेक्षक
डी—2	जल निकासी कार्य के समापन के लिए प्रमाण पत्र	अभियंता / पर्यवेक्षक
डी–3	समापन एवं अधिभोगिता प्रमाण पत्र	प्राधिकरण / संबंधित स्थानीय निकाय
डी—4	अधिभोगी प्रमाण पत्र के संबंध में अनुपालन का रद्द होना	प्राधिकरण / संबंधित स्थानीय निकाय
डी–5	नियमितीकरण प्रमाण पत्र	प्राधिकरण / संबंधित स्थानीय निकाय

फॉर्म की सूची-संश	फॉर्म की सूची—संशोधित					
	फार्म सूची					
फार्म सं.	शीर्षक	हस्ताक्षरकर्त्ता (डिजीटल हस्ताक्षर)				
सामान्य आवेदन–पत्र	डिजाइन एवं विनिर्दिष्टियों के अनुसार भवन के निर्माण, पुनर्निमाण, निर्माण गिराने अथवा सामग्री परिवर्तन के लिए आवेदन—पत्र	(i) वास्तुकार / अभियंता / पर्यवेक्षक (वास्तुकलात्मक डिजाइन हेतु उत्तरदायी)				
	पेशेवरों (वास्तुकार/अभियंता/स्ट्रक्चरल अभियंता/पर्यवेक्षक) की नियुक्ति का प्रमाण-पत्र	(ii) स्ट्रक्चरल अभियंता (संरचनात्मक डिजाइन हेतु उत्तरदायी)				
	संरचनात्मक सुरक्षा का प्रमाण-पत्र	(iii) पर्यवेक्षक (निर्माण—कार्य के पर्यवेक्षण हेतु उत्तरदायी)				
	पर्यवेक्षण, कोई भी हानिकारक सामग्री न होने और मलबा न हटाने हेतु प्रमाण–पत्र	(iv) स्वामी				
	तहखाने के लिए क्षतिपूर्ति बंध-पत्र					
बी—1	संस्वीकृति देना / मना करना	संस्वीकृति प्रदाता प्राधिकरण				
बी—2	पुनःवैधीकरण करना / मना करना	संस्वीकृति प्रदाता प्राधिकरण				
सी—1	मोडरेट एवं उच्च जोखिम भवनों हेतु प्लिंथ स्तर तक कार्य के समापन की सूचना	वास्तुकार / अभियंता / पर्यवेक्षक / स्वामी				
सी-2	मोडरेट और उच्च जोखिम वाले भवनों हेतु संस्वीकृति प्रदाता प्राधिकरण कार्यालय द्वारा/नीचे और कम जोखिम वाले भवनों हेतु वास्तुकार/अभियंता/पर्यवेक्षक द्वारा प्लिंथ लेवल तक पर्यवेक्षण रिपोर्ट	मोडरेट और उच्च जोखिम श्रेणी हेतु संस्वीकृति प्रदाता प्राधिकरण नीचे और कम जोखिम श्रेणी हेतु वास्तुकार/अभियंता/पर्यवेक्षक				
साधारण अधिभोग एवं कार्य समापन	भवन समापन की सूचना	(i) वास्तुकार/अभियंता/पर्यवेक्षक (वास्तुकलात्मक डिजाइन हेतु उत्तरदायी)				
अनुरोध फार्म	घोषणा प्रपत्र	(ii) स्ट्रक्चरल अभियंता (स्ट्रक्चरल डिजाइन हेत् उत्तरदायी)				
	संरचनात्मक सुरक्षा प्रमाण–पत्र	(iii) पर्यवेक्षक (निर्माण–कार्य के पर्यवेक्षण हेतु उत्तरदायी)				
		(iv) स्वामी				
डी-1	अधिभोग एवं समापन प्रमाण-पत्र/आंशिक अधिभोग एवं समापन प्रमाण-पत्र	संस्वीकृति प्रदाता प्राधिकरण				
डी−2	अधिभोग प्रमाण-पत्र के संबंध में अनुपालन करने से मना करना	संस्वीकृति प्रदाता प्राधिकरण				

नियमितीकरण का प्रमाण–पत्र

डी–3

तालिका 11: सौर फोटोवोल्टिक पैनलों के लिए अपेक्षित न्यूनतम क्षेत्रफल

संस्वीकृति प्रदाता प्राधिकरण

क्र. सं.	भवन श्रेणी	प्लॉट क्षेत्रफल / ग्राउण्ड कवरेज		एस.पी.वी. प्लांट की क्षमता (किलो वाट पीक में)	प्रतिशत और वर्ग मी. में अपेक्षित छत का क्षेत्रफल	
1.	आवासीय	105—250 वर्ग मी.		1 के.डब्ल्यू.पी. (एस.पी.वी.)	20%	15 वर्ग मी.
		250—500 वर्ग मी.	75%	२ के.डब्ल्यू.पी. (एस.पी.वी.)	20%	30 वर्ग मी.

	1		1	T		
		500—1000 वर्ग मी.		3 के.डब्ल्यू.पी. (एस.पी.वी.)	20%	45 वर्ग मी.
		1000—3000 वर्ग मी.	50%	5 के.डब्ल्यू.पी. (एस.पी.वी.)	15%	75 वर्ग मी.
		3000 वर्ग मी. से कम		10 के.डब्ल्यू.पी. (एस.पी.वी.)	15%	150 वर्ग मी.
2.	सांस्थानिक	500—1000 वर्ग.मी.		5 के.डब्ल्यू.पी. (एस.पी.वी.)	35%	75 वर्ग मी.
		1000-3000 वर्ग मी.	30%	10 के.डब्ल्यू.पी. (एस.पी.वी.)	35%	150 वर्ग मी.
		3000 वर्ग.मी. से कम		20 के.डब्ल्यू.पी. (एस.पी.वी.)	35%	300 वर्ग मी.
			1	1	1	
3.	सरकारी भवन	500—1000 वर्ग मी.		5 के.डब्ल्यू.पी. (एस.पी.वी.)	30%	75 वर्ग मी.
		1000—3000 वर्ग मी.	50%	10 के.डब्ल्यू.पी. (एस.पी.वी.)	15%	150 वर्ग मी.
		3000 वर्ग मी. से कम		20 के.डब्ल्यू.पी. (एस.पी.वी.)	20%	300 वर्ग मी.
4.	व्यावसायिक	500-1000 वर्ग मी.		5 के.डब्ल्यू.पी. (एस.पी.वी.)	40%	150 वर्ग मी
		1000-3000 वर्ग मी.	50%	२० के.डब्ल्यू.पी. (एस.पी.वी.)	30%	300 वर्ग मी
		3000 से कम—5000 वर्ग मी.		30 के.डब्ल्यू.पी. (एस.पी.वी.)	25%	450 वर्ग मी
		5000 वर्ग मी. से कम		50 के.डब्ल्यू.पी. (एस.पी.वी.)	30%	750 वर्ग मी
5.	समूह आवास	2000-5000 वर्ग मी.		10 के.डब्ल्यू.पी. (एस.पी.वी.)	20%	150 वर्ग मी
		5,000—10,000 वर्ग मी.	33.3%	20 के.डब्ल्यू.पी. (एस.पी.वी.)	15%	300 वर्ग मी
		10,000—20,000 वर्ग मी.		50 के.डब्ल्यू.पी. (एस.पी.वी.)	25%	750 वर्ग मी
		20,000 वर्ग मी. से कम	-	100 के.डब्ल्यू.पी. (एस.पी.वी.)	25%	1500 वर्ग मी
				1	1	1
6.	औद्योगिक	400 वर्ग मी. तक	60%	3 के.डब्ल्यू.पी.	25%	45 वर्ग मी
		401—2000 वर्ग मी.		5 के.डब्ल्यू.पी.	30%	75 वर्ग मी
		2000-5000 वर्ग मी.	50%	10 के.डब्ल्यू.पी.	30%	150 वर्ग मी
		5000 वर्ग मी. से कम		50 के.डब्ल्यू.पी. + 5 के. डब्ल्यू./ 1000 वर्ग मी. अथवा उसका भाग	30%	750 वर्ग मी

[सं. एफ. 15(06)2016 / एम.पी. / पार्ट] डी. सरकार, आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY NOTIFICATION

New Delhi, the 8th March, 2019

Sub: Modifications in the Unified Building Bye-Laws (UBBL) for Delhi-2016

S.O. 1236(E).—In exercise of powers conferred by Section 57 of Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Delhi Development Authority, with the prior approval of the Central Government, hereby make the following modification in the Unified Building Bye-Laws (UBBL) for Delhi 2016.

S. No.	Chapter/Para/Clause/Sub-clause of UBBL 2016	Proposed Modifications		
1100				
i	ii	iii		
1	1.4.10 Authority having Jurisdiction: The Delhi Development Authority, New Delhi Municipal Council, South Delhi Municipal Corporation, North Delhi Municipal Corporation, East Delhi Municipal Corporation, Delhi Cantonment Board hereinafter called the 'Authority'/ concerned local body.	1.4.10 Sanctioning Authority: The Delhi Development Authority, New Delhi Municipal Council, South Delhi Municipal Corporation, North Delhi Municipal Corporation, East Delhi Municipal Corporation, Delhi Cantonment Board hereinafter called the 'Sanctioning Authority'.		
2	1.4.90 Podium: A raised platform constructed as top most level of any single/multilevel parking which can be used for landscaping, plantation, tot-lot, swimming pool, deck, assembly space, movement, building tower/s etc.	1.4.90 Podium: A raised platform constructed as top most level of any single/ multilevel parking which can be used for landscaping, plantation, tot-lot, swimming pool, deck, assembly space, movement, building tower/s, parking etc.		
	Chapter 2	Chapter 2		
3	2.1.3 Signing of CAF and Declarations:	2.1.3 Signing of CAF and Declarations:		
		Note: i) The requirement of submission of Notice of Commencement of Work to the concerned office/s of Sanctioning Authority has been done away with, in these Building bye-laws.		
		ii) Information on Tentative Date of Commencement and Completion should be provided while applying in CAF, and the same shall be forwarded Online to the Labour Department		
4	2.10 Latent Defects Liability:	2.10 Latent Defects Liability:		
	a) The following shall be held liable for any structural flaws or defects in all risk category of buildings having plot	a) The following shall be held liable for any structural flaws or defects in all risk category of buildings having plot area 750 sqm. and above, after it is in use:		
	area 750 sqm. and above, after it is in use:	i. Architect.		
		ii. Structural Engineer.		
	i. Architect.ii. Structural Engineer.	iii. Site Supervisor/ Site Engineer.		
	iii. Site Supervisor/ Site Engineer.	iv. Developer/Landowner/ Construction Company including contractor / sub-contractor.		
	iv. Construction Company including contractor / sub-contractor.	b) The above mentioned professionals and the Developer/Landowner/ construction company		
	b) The above mentioned professionals and the construction company	including contractor/ sub-contractor shall take decennial professional liability insurance to cover for		

	including contractor/ sub-contractor shall take decennial professional liability insurance to cover for such liability.	such liability, subject to such guidelines as may be prescribed from time to time.
	Chapter 3	Chapter 3
5	3.1.10	3.1.10
	Simplified Procedure for Sanction of Government Building Plan	Simplified Procedure for Sanction of Government Building Plan
	A simplified procedure for sanction of government building plans will be followed, which will be on the same lines as given in the office order no: D/49/Cm./SDMC/Bldg. HQ/2012 dated 13/09/2012 and order no: D/04/SE (B) HQ/12 dated 18/04/2012 given at Annexure XII. However, the Building Plans may also be sanctioned through regular procedure.	A simplified procedure for sanction of government building plans will be followed, which will be on the same lines as given in Annexure XII . However, the Building Plans may also be sanctioned through regular procedure.
6	3.2 Environmental conditions for sanctioning Building Plans	3.2 Environmental conditions for sanctioning Building Plans
		Note: i) Hon'ble National Green Tribunal vide its Judgement dated 08.12.2017 in OA No.677 of 2016, O.A. No.01 of 2017, O.A. No.7 of 2017, O.A. No.55 of 2017 and O.A. No. 67 of 2017 with respect to the Notification dated 09.12.2016 of MoEF & CC, GOI has inter-alia directed that till the time the Ministry comply with the above directions contained in its aforesaid order and notify the amended provisions of regulations of 2006, it will not implement the impugned Notifications.
		ii): Hon'ble National Green Tribunal vide its Judgment dated 03.12.2018 in OA No.1017 of 2018, has stayed the impugned notification and directed the existing mechanism, prior to this notification to continue till further orders."
		Chapter 4
	Procedure and Documentation	for 'Saral' Scheme for Small Residential Plots
7	j. In case of plot affected by mandatory road widening the site inspection shall be carried out by the Sanctioning Authority.	Deleted
		j. Standard Building Plans for various sizes of plots under SARAL Scheme shall have to be uploaded by the sanctioning authorities in the websites.
	Saral Form 1	Saral Form 1
		(i)
		Note: For subsequent sanction of revised building plans, building permit fee @ 10% respectively of (1), (2) & (3) above, shall be deposited.
8	Saral Form 2	Saral Form 2
	c). Further the Structural Stability Certificate (Please refer Form A-4) duly signed by a structural engineer is enclosed:	c). Further the Structural Stability Certificate (Declaration Proforma, Chapter 2, para 2.1.3) duly signed by a Structural Engineer is enclosed:

	Chapter 7	Chapter 7
	General Building Requirement	General Building Requirement
9	Min. Requirement for a dwelling unit up to	Min. Requirement for a dwelling unit up to 50 sq.m area
	50 sq.m area	Kitchen
	Kitchen	Width 1.5m
	Width 1.8 m	Min. Requirement for a dwelling unit above 50 sq.m area
	Min. Requirement for a dwelling unit above 50 sq.m area	
	Kitchen	Kitchen
	Width 2.4m	Width 1.5 m
10		7.4.12 For all types of buildings having more than one basement, the Fire Clearance shall have to be obtained.
11		7.4.13. For basement of size more than 200sq.m. of BUA, the Fire Safety measures as per NBC –Part 4 norms shall be followed.
12	7.10.1 The number of staircases in the buildings shall be determined based on the occupant load, travel distance, dead end restriction subject to minimum two staircases in respect of buildings identified under bye-law No. 2.8; provided that where the travel distance and other requirements are complied with one staircase and the second shall be a Fire Escape.	7.10.1 The number of staircases in the buildings shall be determined based on the occupant load, travel distance, dead end restriction subject to minimum two staircases in respect of buildings identified under bye-law No. 9.3; provided that where the travel distance and other requirements are complied with one staircase and the second shall be a Fire Escape.
13	7.11Staircase Details	7.11 Staircase Details
	g. The maximum height of riser shall be 15 cm in the case of low rise residential buildings and 15 cm in the case of other buildings including high rise residential building and maximum number of risers per flight shall be limited to 15 per flight.	g. The maximum height of riser shall be 150mm in the case of low rise residential buildings, other buildings including high rise residential building and maximum number of risers per flight shall be limited to 12 per flight.
	h. Handrails shall be provided with a minimum height of 1.0 m from the centre of the tread subject to condition that balusters/ railing do not reduce the width of staircase.	h. For Handrails and Grab Bars refer 11.5.3. The balusters/ railing shall not reduce the width of staircase i.e. clear width should be 1.5 m.
14	7.11.1 Minimum Width Provisions for	7.11.1 Minimum Width Provisions for Stairways
	 Stairways a. Other residential building e.g. flats, hostels, group housing, guest houses etc. minimum 1.35 m. For details refer chapter 11. 	 a. Other residential building e.g. flats, hostels, group housing, guest houses etc. minimum 1.5 m. For details refer chapter 11.
15	7.11.2 Minimum Width Provisions for Passageway/Corridors	7.11.2 Minimum Width Provisions for Passageway/Corridors
	b. Residential buildings, e.g., hostels, group housing etc. 1.35m for single loaded and 1.8m for double loaded.	b. Residential buildings, e.g., hostels, group housing etc.1.5m for single loaded and 1.8m for double loaded.
16	7.13.3	7.13.3
	In case of High rise building, the exterior open spaces around a building as in Building Bye Laws No. 7.13.1 shall be of green or hard surface capable to taking load of fire engine weighing up to 45 tonnes.	In case of High rise building, the exterior open spaces around a building as in Building Bye Laws No. 7.13.1 shall be of hard surface capable to taking load of fire engine weighing up to 45 tonnes.
		(See also 8.2.b)

	Chapter 8				
		Provisions 1	for High rise Development		
17	Table 8.1 Minimum wi different types of build		Table 8.1 Minimum width of staircase for different types of buildings		
	Type of Building	Minimum Width	Type of Building	Minimum Width	
	Residential buildings (Group Housing)	1.35m	Residential buildings (Group Housing)	1.5m	
18	8.2 Means of Access		8.2 Means of Access		
	To be read along with '2.7' of these built		To be read along with 'Mea 2.0.4.j.(iv)' of these b		
19	8.4.3 Stairways		8.4.3 Stairways		
		1 be provided with a ht of 1.0 m from the ead.	e. For Handrails and Grab Bars railing shall not reduce the wid		
20	8.4.7 Ramps		8.4.7 Ramps		
	can be provid	than 3000sqm. car lift/s ed in place of ramp/s approval of the Fire	in place of ramp/s subje Department. For plot/s mandatory, if used for pa	sqm. car lift/s can be provided ct to the approval of the Fire above 3000sqm. Ramp/s are arking.	
			norms. The lift car width in case of emergency, w	n should be selected such that while the automobile is in the build be able to open the	
21			8.11: Activities permitted in Atr		
			Vending Booth or allied / s such as Kiosks, Café, Merchandise /Visual Merchandise /Visual Merchandise /Visual Merchandise /Visual Merchandise /Visual Merchandise /Visual Merchandise / Short promotional activities / I compliance of all mandato MPD and UBBL 2016 with statutory authorities such as paying fees and charges within (2) For all these developments/at the Developer Entity (DE) can defined Atrium area towards I same from its permissible FA activities allowed in the Atritowards FAR. 3) Public circulation / movement as approved by the Fire Service.	view shall be permitted i.e. similar commercial activities, Exhibition stalls/ Sale of handise/Short Performances/ Fashion-shows/ etc. subject to ry/statutory requirements of ith clearances from various Delhi Fire Services etc.; by n the ambit of UBBL 2016. ctivities in the Atrium area, n utilize maximum 25% of the FAR by pouring / counting the R for use of above mentioned rium which shall be counted ent spaces shall be maintained	
			Delhi fire Services shall have i) The floor of atrium than low fire hazara ii) Only Non-combu	e to be strictly followed: n shall not be used for other	

			ii)		activity, involving use of open mitted in the atrium floor.
			iv)	No cooking activity floor except the us	shall be permitted in the atrium e of hot plates.
			v)	Area for circulation clearly earmarked	n/movement of visitors shall be and
				always be kept fr times.	ree from all obstacles, all the
			vi)		type wall sprinklers to be protection of the kiosk area in
			vii)	subject to condi	atrium floor shall be permitted tion that smoke management n shall be validated through
			viii		% of interior exit stairways are ess through an atrium on the erge.
			ix)	aspects, hence dr	of each atrium varies in many cawings for use of kiosks in ferred to Delhi Fire Service for
			x)		shall not be more than 25% of nd subject to above mentioned
			Chapt	er 9	
	Provisions for Structur	al Safety, Natural Disas	ter, Fire a	nd Building Services	
22	9.3.1	• /	9.3.1		
	f. Handrails shall be	of a height not less		ils shall be as per Chap	ter 11
	than 1.0m and not exceed		j. Fire escape staircases shall have straight flight not less than		
	j. Fire escape staircases s	•	1.5 m wide with 30 cm treads and risers not more than 15 cm. The number of risers shall be limited to 12 per flight. 9.3.8 Fire Check Floor/ Fire Cut off Floor		
	not less than 1.35 m wid				
	risers not more than 1				
	risers shall be limited to				ng height more than 70 m shall
	9.3.8 Fire Check Flo	oor/ Fire Cut off Floor			ck floor (entire floor) above 70
	_	building having height			e floor level and so onafter
		Il be provided with fire floor) above 70 m at	eve	ery 25 meters or 8 floo	ors, whichever is less.
	immediate habitable	-			
23			9.4.6		
			Build equi appr Forn	dings as per sub-cla valent or more than oved by Delhi Jal Bo n (CAF) only. This is	using of any plot size and other use 1.4.75 having plot area 3000sqm shall have to be pard in Common Application not applicable for Residential
	On 1 40		Plott	ed development.	10
	Chapt			Chapt Provisions for	er 10 Green Buildings
24		Green Buildings	un to 105	A I OVISIOIS IUI	_
24	up to105	Nil	up to105	00 (category II)	Optional usage of 2 (a), 2(b). Addition of 2(a)
2.5			103 10 30		
25	•		Chapter 11		
	Provisions for	Universal Designs for		rrovisions for Univer	sal Designs for Persons with

	Differently Abled, Elderly and Children	Disabilities, Elderly and Children
26	11.0 Applicability	11.0 Applicability
	These regulations are applicable to all buildings and facilities used by the public such as educational, institutional, assembly, commercial, business, mercantile buildings and group housing etc. It shall not apply to private	These regulations are applicable to all buildings and facilities used by the public such as educational, institutional, assembly, commercial, business, mercantile buildings and group housing etc. It shall also apply to private residences (residential plotted development).
	residences (residential plotted development).	For Accessible buildings, at least one entrance and exit per facility should be accessible to a wheelchair user and persons with disabilities such as visually impaired, etc. For new buildings, the accessible entrance(s) should be the main entrance(s), and not side or back entry, intended for use of public.
		Wherever waiting areas, coffee shops, display areas, merchandising departments, service areas, ticket counters, refreshment stands etc. are provided for public use, these facilities should be accessible to all Persons with Disabilities and not just wheelchair user only.
		In all buildings at least one unisex accessible washroom/toilet should be provided. In Multi-Level buildings, all floors should have one such facility near the general washrooms.
		Note: For additional and detailed requirements other than specified in these Unified Building bye- Laws 2016, the Harmonized Guidelines and Space Standards for barrier Free Built Environment for Persons with Disability and Elderly Persons – February 2016 published by Ministry of Urban Development, Govt. of India shall be followed and as amended from time to time along with NBC Chapter 3-Clause 13 Requirements for accessibility in
		Built environment for elders and persons with disabilities and Annex B: Anthropometrics and Requirements for Accessibility in Built-Environment for Elders and Persons with Disabilities.
27	11.1 Building to be Designed for Ambulant Disabled People	
	Higher Secondary School, Conference Hall, Dance Halls, Youth Centers, Youth Clubs, Sport Centers, Sport Pavilions, Boat Club Houses, Ice Rinks, Bowling Centers, Swimming Pools, Police Stations, Law Courts, Courts Houses, Sport Stadiums, Theaters, Concert Halls, Cinemas, Auditoria, Small Offices (the maximum plinth area 1400 sq.mt) Snack Bars, Cafes and banqueting rooms (for capacity above 50 dinners).	DELETED
	Notes:	
	a. In sport stadiums provisions shall be made for non-ambulant spectators (small wheel chair)	
	b. @ 1:1000 up to 10,000 spectators and @ 1:2000 for spectators above 10,000.	
	c. In Theaters, Concert Halls, Cinemas and Auditoria provisions shall be	

made for non-ambulant spectators (Small Wheel Chairs) @ 1/250 up to 1000 spectators and 1/500 for spectators above 1000.

11.2 Building to be Designed for Non-Ambulant Disabled People

Schools for differently abled, cremation and buildings as mentioned in (Annexure VI- Development Norms – MPD), Botanical Gardens, Religious Buildings, Old People Clubs, Village Halls, Day Centers, Junior Training Centers, Post Offices, Banks, Dispensaries, Railway Stations, Shops, Super Markets, and Departmental Stores.

Note: Large wheel chair criteria shall be applicable on ground floors of the following building, post offices, banks, dispensaries, railway station, shops, supermarkets, and departmental stores.

11.3 Building to be Designed for Non-Ambulant Disabled People (using small wheel chairs)

Public lavatories in Tourist Sports, Clubs Motels, Professional and Scientific Institution, Museum, Art Galleries, Public Libraries, Laborites, Universities, Collage for further Education, Teachers Training Colleges, Technical College, Exhibition Halls Dentist Surgeries, Administrative Department of the Hospitals, Service Stations, Car Parking, Buildings Airports Terminals, Bus Terminals, Factories Employing differently abled for Sedentary Works, Large Offices, (with plinth area abode 1400 sq.mt.), Tax Offices, Passport Offices, Pension Offices, and Labour Offices, Cafes, Banqueting Rooms and Snack Bars (For capacity above 100 dinners).

28 11.4.2

- (a) Surface parking for two car spaces shall be provided near entrance for the differently abled persons with maximum travel distance of 30.0 m from building entrance.
- (b) The width of parking bay shall be minimum 3.6 m

11.4.2

- (a) Surface parking for two car spaces shall be provided near accessible entrance/lift lobby for the persons with disabilities maximum travel distance of 30.0 m. In case the access is through lift, the parking shall be located within 30 m of the lift lobby.
- (b) The width and length of parking bay shall be minimum 3.6 m X 5.0m. The minimum width includes the transfer area beside the car with a minimum of 1200 mm.

Two accessible parking spaces with one

shared transfer area are widely used and shall have a minimum width of 6m.

(e) Where there are two accessible parking bays adjoining each other, than 1200mm side transfer bay shall be shared by the two parking bays. The transfer zones, both on the side and the rear

should have yellow or white cross - hatch road markings and connected to an accessible route 1200mm wide. (f) A minimum of one accessible designated parking space shall be provided in every parking area; i) For up to 10 parking spaces, one designated accessible parking space shall be provided; ii) For up to 25 parking spaces, two designated accessible parking space shall be provided; iii) For up to 50 parking spaces, three designated accessible parking spaces shall be provided; iv) For up to 100 parking spaces, four designated accessible parking spaces shall be provided; v) For up to 200 parking spaces, six designated accessible parking spaces shall be provided; vi) For over 200 parking spaces, six designated accessible parking spaces for 200 parking spaces and one for each additional 100 parking spaces shall be provided. In specialized facilities such as health care facilities, shopping areas and recreational facilities, a greater number of designated accessible parking spaces should be considered. (g) Space should be provided for passenger drop-off / alighting points for taxis, public transport and also for large vehicles such as vans, etc, as near as possible to the main accessible entrance. Vehicle drop-off areas should be a minimum of 9000 mm in length, have a minimum width of 3600 mm and be served by a kerb ramp. (h) At least one accessible route {see (e)} marked by tactile pavers leading to an accessible entrance of the building shall be provided from the alighting and boarding point of taxi stands and car park lots for people with disabilities. 29 11.4.3 Tactile Ground Surface Indicators (TGSI). **Tactile Guiding and Warning Blocks:** Tactile ground surface indicators or tactile guiding and warning tiles/blocks aid blind and vision impaired pedestrians negotiate the built environment shall be provided as per NBC norms in force. Tactile guiding blocks indicate a correct path/ route to follow for a person with visual impairment. It is mandatory to install one/two rows of tactile guiding blocks along the entire length of the proposed accessible route. Care shall be taken to ensure that there are no obstacles, such as trees, poles or uneven surfaces, along the route traversed by the guiding blocks. Also, there shall be clear headroom of at least 2100 mm height above the tactile guiding blocks, free of protruding objects such as overhanging tree branches and signage, along the entire length of the walk. Tactile warning blocks indicate an approaching potential hazard or a change in direction of the walkway, and serve as a warning of the approaching danger to persons with visual impairments, preparing them to tread cautiously and expect obstacles along the travel path, traffic intersections, doorways, etc. They are used to screen off obstacles, drop-offs or other hazards, to discourage movement in an incorrect direction, and

to warn of a corner or junction. Two rows of tactile warning tiles shall be installed across the entire width of the designated accessible pathway, before intersections, building entrances, level changes, obstacles such as trees, and each time the walkway changes direction.

Warning blocks shall be placed 300 mm from the beginning and end of the ramps and stairs, at landings and entrance to any door

11.4.3.1 Places to Install TGSI

TGSI shall be installed at following places:

- a) In open space to orient persons with vision impairment;
- b) In front of an area where traffic is present;
- c) In front of an entrance/exit to and from a ramp, staircase or multi-level crossing facility;
- d) Entrances/exits at public transport terminals or boarding areas:
- e) Sidewalk/footpath section of an approach road to a building; and
- f) From a public facility to the nearest public transport station.

11.4.3.2 Barriers and Hazards

Obstacles, such as objects or signs mounted on walls, columns or free-standing supports along the walking path shall be avoided. Unavoidable free standing posts or columns within access routes on pathways shall leave at least unobstructed walking width of 1000 mm and be clearly marked with visual indicators. Visual indicators at least 75 mm in height with a minimum visual contrast of 30 points difference in the LRV value of the colours to the background shall be placed; one at a height between 800 mm and 1 000 mm above floor level, and the other between 1 400 mm and 1 600 mm above floor level.

Bollards, short vertical posts generally arranged in a line to guide traffic and protect from vehicle intrusions, shall have a maximum height of 1000 mm. Bollards, where installed within the access route shall have a minimum clear spacing between them of 1000 mm so as to provide clear passage width for movement of wheelchairs.

11.4.3.3 Protruding Objects

Unavoidable protruding objects shall not reduce the minimum clear width of an accessible route or maneuvering space. Protruding objects in the access route shall contrast visually with the background environment.

Objects with a height lower than 1000 mm can create a hazard for blind or partially sighted people. Permanent equipment that cannot be located outside the boundaries of a path shall be,

- a) designed to be easily seen with a minimum difference in LRVs of 30 points to the background;
- b) shielded to protect against impact; and
- c) accompanied by a feature that warns of the presence of a potential hazard and is detectable for a person using a white cane or stick.

The headroom along a path shall be maintained at a height of not less than 2100 mm above the surface of the path.

Any objects projecting more than 100 mm between 300 mm and 2100 mm above ground level into an access route shall be clearly visible and detectable with a cane.

		When a projecting obstacle exists, a protective guard shall be provided at ground level, under the projecting object, such as, a kerb or fixed element at a height of 100 mm-300 mm as cane detection. Cane detection shall not be set back more than 100 mm from the face of the projecting object. Wing walls, side partitions, alcoves or recesses are solutions for projecting elements where free space under the object is needed. Winged protection shall extend continuously between 300 mm and 1000 mm above the floor and shall contrast visually with the background.
30	a. Ramped approach:Ramp shall be finished with non-slip material to enter the building. Minimum width of ramp shall be 1.8 m with maximum gradient 1:12. Length of ramp in a single stretch shall not exceed 9.0 meter having 0.8 m high hand rail on both sides extending 300mm beyond top and bottom of the ramp. Minimum gap from the adjacent wall to the hand rail shall be 50mm.	 a.Ramped approach:Ramp shall be finished with non-slip material to enter the building. Minimum width of ramp shall be 1.8 m. The landing shall have a level platform of not less than 1.5m. For minimum specification for Ramps see Table 11.1. Table 11.1 is annexed at Annexure A. A ramp run with a vertical rise greater than 150 mm should have handrails that are on both sides are placed at a height as per 11.5.3. handrails must be continuous on both sides & even at landings and end of handrails to be rounded off or grounded in the ground.
31	b. Stepped Approach: For stepped approach size of tread shall not be less than 300mm and maximum riser shall be 0.15 m. Provision of 0.8 m high hand rail on both sides of the stepped approach similar to the ramped approach.	 b. Stepped Approach: For stepped approach size of tread shall not be less than 300mm and maximum riser shall be 150mm. Provision of hand rail on both sides of the stepped approach similar to the ramped approach.
32	c. Exit/Entrance Door: Minimum& clear opening of the entrance door shall be 900mm and it shall not be provided with a step that obstructs the passage of a wheel chair user. Threshold shall not be raised more than 12 mm.	c. Accessible Exit/Entrance Door: Minimum& clear opening of the accessible entrance door shall be 900mm and it shall not be provided with a step that obstructs the passage of a wheel chair user. Threshold shall not be raised more than 10 mm. The width of the corridors or passageways leading to and from such access door shall not be less than 1500 mm. In multi-storey buildings, the accessible entrance shall have an accessible route leading to the lifts {See 11.4.2 (e)}. All external doors shall have warning blocks installed 300 mm before the entrances for aid of visually impaired users. Note: For Details of Doors, Windows, Operational Control and devices and other building requirements, Signages, Escalators etc. the standards specified in NBC Chapter 3 - Clause 13 Requirements for accessibility in Built environment for elders and persons with disabilities andAnnex B: Anthropometrics and Requirements for Accessibility in Built-Environment for Elders and Persons with Disabilities shall have to be followed as amended from time to time.

34

33 11.5.2 Corridor Connecting the Entrance/Exit for Differently abled.

- **c.** In case there is a difference of level, slope ways shall be provided with a slope of 1:12.
- **d.** Handrails shall be provided for ramps/slope ways.

11.5.2 Corridor Connecting the Entrance/Exit for persons with disabilities.

- **c.** In case there is a difference of level, slope ways shall be provided as specified in Table 11.1.
- d. Handrails shall be provided for ramps/slope ways as per Handrails and Grab Bars (refer 11.5.3). The balusters/ railing shall not reduce the width of corridor.

11.5.3 Handrails and Grab Bars

For stepped path, stairs and ramps, handrails shall meet the following requirements:

- a) They shall be provided on both the sides;
- b) They shall be continuous, even at the landings;
- c) They shall extend at least 300 mm beyond the first and last nosing. A handrail shall not project into a transverse circulation path unless it is continuous and intended to form part of the guidance along that path. The end of the horizontal extension should be turned towards the wall on the closed side of the ramp or stairs, or be turned down and terminate at the floor or ground level.
- d) They shall have a minimum clear space of 50 mm from the walls; and
- e) The height to the top of a handrail shall be 900 mm above the surface of a ramp, the pitch line of a stair, and the surface of a landing. A second handrail, with a lower profile than the first one, shall be provided. The height to the top of the second handrail shall be 760 mm above the surface of a ramp, the pitch line of a stair, and the surface of a landing. There shall be sufficient distance between the two handrails (say, 100 mm).
- f) In case the handrail is enclosed in a recess, the recess shall be 50mm deep.

11.5.3.1 Handrails shall

- a) be securely fixed and rigid; the fastenings and the materials shall be able to withstand a minimum point load, both vertical and horizontal of 1.7 kN:
- b) be slip-resistant with round ends;
- c) have a circular section of 38mm in diameter;
- d) be free of any sharp or abrasive elements;
- e) have continuous gripping surfaces, without interruptions or obstructions that may break a hand hold;
- f) contrast with the wall behind; and
- g) shall be provided with Braille/tactile markings at the beginning and at the end to give information to people with visual impairment.

11.5.3.2 Grab Bars shall,

- a) be securely fixed and rigid;
- b) be slip-resistant with round ends;
- c) Preferably have knurled surfaces;
- d) have a circular section of 38mm in diameter;
- e) be free of any sharp or abrasive elements;
- f) have a minimum clear space of 50 mm to 65 mm from the wall:
- g) be installed at a height of 760 mm to 900 mm;
- h) be able to bear a weight of 1.7 kN; and
- j) contrast with the wall/surface behind.

35 11.6 Stair-ways 11.6 Stair-ways **a.** The minimum width shall be 1.35m. a. The minimum width shall be 1.5 m. b. Height of the riser shall not be more than b. Height of the riser shall not be more than 150mm and width 0.15m and width of the tread 300mm. The of the tread 300mm. The steps shall not have abrupt (square) steps shall not have abrupt (square) nosing. d. Handrails shall be provided on both sides d. For Handrails and Grab Bars refer 11.5.3. The balusters/ railing shall not reduce the width of staircase. and shall extend 0.3 m on the top and bottom of each flight of steps. e. The stairs landing shall be minimum 1.5 m deep. 1.6 f. Projecting nosing and open stairs shall not be provided to minimize the risk of stumbling. h. No appliances, fixtures or fittings shall project beyond 90 mm from the surface of any wall in a staircase below a level of 2100 mm, measured above the treads of the staircase. If such a projection is unavoidable, the same shall also be extended downwards to the level of the treads. However, in no case the width of the staircase shall be less than that prescribed in these bye-laws. 36 **11.7 Lifts 11.7 Lifts** Table No 10.1 Desirable Lift Size Table No 11.2 Desirable Lift Size Clear Internal width 1.1m Clear Internal width (minimum) 1.5m min. 2.0m Clear Internal depth 1.5 m min. Clear Internal depth (minimum) 37 a. A hand rail not less than 0. 6 m long at A hand rail at height of 760mm and for other details 1.0 m above floor level shall be fixed refer 11.5.3. adjacent to the control panel. 38 11.8 Toilets 11.8 One special W.C. in a set of toilets shall TOILET ROOMS AND SANITARY ROOMS: be provided for the use of differently abled with essential provision of Public toilets shall comply with the overall requirements under washbasin near the entrance for the these provisions with respect to the facilities provided therein differently abled. so as to ensure that the same are accessible. In all public toilets, the following shall be provided: a) Male section shall have one urinal with support grab bars The minimum size shall be 1.5 m x for ambulant disabled and at least one urinal for children at a 1.75 m. lower height of 430mm; b. Minimum clear opening of the door b) Both male and female section shall have one WC for shall be 0.9 m and the door shall ambulant disabled: swing out. c) One Type A unisex accessible toilet room with independent Suitable arrangement of vertical/ entrance; and horizontal handrails with 50 mm clearance from wall shall be made in the toilet. d) Depending on footfall, one Type B accessible toilet in both male and female toilet groups. The W.C. seat shall be 0.5 m from the floor. Sanitary facilities shall be designed to accommodate a variety of users. Accessible toilets that can be used by both sexes 11.8.1 Provision of W.Cs in buildings (unisex accessible toilets) allow the greatest flexibility for Without Lift people who require assistance hence is the preferred option.

Wheelchair accessible unisex toilets should always

Provision of special W.C. shall be made on

all floors for buildings designed for ambulant disabled persons. For buildings designed for non-ambulant disabled special W.C. shall be provided at Ground Floor. Size of W.C. shall depend on the type of wheel chair used by the disabled.

11.8.2 Provisions of W.Cs in buildings With Lift

Provision of Special W.C. shall be made on all floors. Size will depend on the category of disabled for whom it has been provided.

11.8.3 Toilet Details: For Toilets Designed for Ambulant Disabled

- a. The minimum size of W.C. shall be 1.075 x 1.65 m with a minimum depth of 1.45 m from entry door 0.9 m.
- b. Long handrail on the side closer to W.C. with a clear width between the handrails shall be 0.9 m and height of handrails shall be 0.8 m from floor level
- c. Minimum size of the clear door opening shall be 0.78 m.

11.8.4 For Toilets Designed for Non-Ambulant Disabled Small Wheel Chair

The minimum size of W.C. shall be 1.35 x 1.5 m with a minimum depth of 1.5 m from entry door. 0. 9 m long handrail on the side closer to W.C. shall be provided. To provide movement space for wheel chair, W.C. seat shall be fixed towards one side to the opposite adjacent wall. The centerline of W.C. from the adjacent wall shall be 400 mm and minimum 0.95 m from the other wall. Minimum size of the clear door opening shall be 0.78 m.

11.8.5 For Toilets Designed for Non-Ambulant Disabled Using Large Wheel Chair:

The minimum size of W.C. shall be 1.5 x 1.75 m with a minimum depth of 1.75 m for entry door. 0.9 m long handrail on the side wall closer to W.C. shall be provided. To provide movement space for wheel chair, W.C. seat shall be fixed towards one side of the opposite wall. The centerline of the W.C. from the adjacent wall shall be 0.4 m and a minimum of 1.1 m from the other wall. Min. size of clear

provided in addition to wheelchair accessible separate sex toilets. Similarly, a provision of an enlarged cubicle for ambulant disabled people in a separate sex toilet room can also benefit parents with children and people who need an enlarged space (for example those with luggage).

The accessible toilet room shall be located as close as possible to the existing toilet block and should be easy to find. It should not be so located that it compromises the privacy of users. If only one toilet is decided to be provided considering the estimated requirement as per this Code, it shall be Type A unisex accessible toilet. Where, more than one accessible toilet is provided, different options exist.

11.8.1 Where sanitary facilities are provided, the following shall also apply:

- a) At least one unisex wheelchair user accessible toilet room of Type A, with corner placement of WC, shall be provided, which shall always contain a washbasin.
- b) One accessible toilet (Type A or Type B) in single sex toilet block (male and female section of toilet block) shall be provided depending on the footfall and space.
- c) When more than one accessible corner toilet of Type B is planned, a choice of layouts suitable for left hand and right hand transfer shall be provided. In case such toilets are located in similar position on each floor of a multi-storey building, it should allow for right and left hand transfer on alternate floors.

In any case, a unisex accessible toilet of Type A shall be provided on the ground floor so as to be able to meet the need for both left and right side transfers.

- d) In all separate sex toilet/sanitary rooms there shall be provision for one cubicle suitable for use by ambulant disabled.
- e) Where urinals are provided, there shall be urinals for wheelchair users and ambulant disabled people.
- f) Where there is requirement for only one toilet or sanitary room in a building, a wheelchair accessible unisex toilet of Type A shall be provided with minimum size of 2 m x 2.2 m to accommodate a standing height washbasin. No urinal should be provided in unisex accessible toilet.
- g) The provision of the accessible toilets shall be such that any wheelchair user/ambulant disabled person does not have to travel more than 30 m on the same floor.
- h) The design of toilet facilities shall incorporate ease of use for all people and location of fittings should follow a logical sequence.
- i) Care shall be taken in placing mirrors and lights to avoid confusion and dazzling for visually impaired users.
- j) Soap dispensers and hand towels or driers shall be placed at height of 800mm max. so that they are easy to locate, identify and use.
- k) Visual contrast and lighting, emergency assistance alarm, as per NBC in force.

door opening shall be 0.86 m

- n) If facilities are provided such as buttons or taps which operate by use of sensors, accessible signage shall be provided to explain the same. For the benefit of the persons with vision impairments, all general toilets shall have signage marked on plates with raised alphabets and Braille put on the wall next to the door latch, preferably on the left side. An additional signage shall also be provided on the door at 1500 mm height.
- 1) Many persons with visual impairments find it convenient to use the toilets where internal dimensions, accessories and fixtures placement are standardized. A tactile layout of the toilet should be provided on the wall, near the latch side at 900 mm height.
- m). A distinct audio sound (beeper/clapper) can be installed above the entrance door for the identification of the toilets by persons with visual impairments.

11.8.2 Type A Toilet Room with Lateral Transfer from Both Sides.

11.8.2.1 Type A accessible toilet room shall meet the following requirements:

- a) It shall have minimum internal dimensions $2200 \text{ mm} \times 2000 \text{ mm}$.
- b) The layout of the fixtures in the toilet shall be such that there is a clear manoeuvring space that provides a wheelchair turning radius of 1800 mm in front of the water-closet and washbasin in the accessible toilet unit.
- c) It shall have all fixtures and utilities arranged in a manner to provide a clear space of $1500 \text{ mm} \times 1500 \text{ mm}$ for wheelchair users to access them.
- d) It shall have clear space of not less than 900 mm wide next to the water-closet.
- e) It shall be equipped with a door not less than 900 mm wide clear opening leaving the door frame.
- f) It shall have a water-closet, grab bars, and washbasin, essential washroom accessories, an alarm to seek emergency help, complying with NBC in force.
- g) It shall have the toilet roll dispenser and hand water faucet mounted below the grab bars and at not more than 300 mm from the front edge of the seat and at a height between 50 mm and 200 mm from the top of the water-closet seat.
- h) Cloth hooks should be set at different heights, 800 mm to 1000 mm, and additionally at least one hook at 1400 mm; and projecting not more than 40 mm from the wall.
- i) Where possible, be equipped with a shelf of dimensions $400 \text{ mm} \times 200 \text{ mm}$ fixed at a height of between 800 mm and 1000 mm from the floor.

11.8.3 Type B Toilet Room with Lateral Transfer from One Side Only.

Type B toilet has the following characteristics:

		a) Lateral transfer only from one side having minimum internal dimensions of 2200 mm × 2000 mm.;
		b) Manoeuvring space reduced by washbasin;
		c) Independent water supply beside water-closet, with floor drain where necessary;
		d) Ability to reach small wash hand basin when seated on toilet;
		e) Horizontal grab rail on wall beside the water-closet;
		f) Vertical grab rail on wall beside the water-closet for getting up and sitting down (slanted grab bars are not preferred);
		g) Foldable U shape grab bar; and
		h) Toilet paper dispenser fixed on the wall beside the water-closet.
		11.8.4 Grab Bars for Toilet Rooms and Sanitary Rooms:
		Grab bars as per NBC norm in force shall be provided in toilet or sanitary rooms in accordance with this clause.
		On both sides of a toilet, a grab bar (whether drop-down or fixed to the wall) shall be provided at a distance between 350 mm and 500 mm from the centre line of the toilet.
		On the sides where a lateral transfer is possible, a foldable grab bar (drop-down support bar) shall be provided at a height of 200 mm to 300 mm above the water-closet. The length of the foldable grab bar should overlap the front edge of the water-closet in between 100 mm and 250 mm. The positioning of a foldable grab bar should allow access from a wheelchair when folded up.
		Where a wall is beside the toilet, L-shape grab bar (size 700mm length and 700mm height) shall be provided at a height of 200 mm to 300 mm above the water-closet.
		The grab bar shall extend a distance of minimum 150 mm to the front edge of the water-closet.
		The positioning of accessories such as hand towel, soap, waste bin, etc, should not hamper the use of the grab bar.
		The grab bar height for toilets for children should be between 510 mm and 635 mm.
39	11.11 Refuge	11.11 Refuge
	c. Have an alarm switch installed between 0.9 m and 1.2 m from floor level.	c. Have an alarm switch installed between 300mm and 900mm from floor level.
		d. All stairs next to the refuge shall be with a clear width of 1500mm between the handrails.
40		11.13 AUDITORIUMS, CONCERT HALLS, SPORTS ARENAS AND SIMILAR SEATING
		11.13.1 Designated Seating Areas for Wheelchair Users
		At least 1 percent of seats shall be designated as seating areas for wheelchairs users, with a minimum of two.
		For total seats exceeding 51, it is recommended to provide the

designated seating areas in the following manner:

- a) Total seats 51 to 100, minimum three designated seating areas for wheelchair users;
- b) Total seats 101 to 200, minimum four designated seating areas for wheelchair users; and
- c) One additional seating area should be provided for every two hundred additional seats or part thereof.

These spaces should be integrated among other seats and allow two wheelchair users to stay together. It is recommended that the armrest on the seats at the end of the row lift up to allow people to transfer from the wheelchair onto a seat. To accommodate groups of wheelchair users, in an auditorium with fixed seats, a minimum of 15 seats shall be foldable or removable to increase the number of designated areas for wheelchair users when necessary.

Some seats should be wider in order to allow larger size people to sit properly.

11.13.2 Accessible Changing Rooms

The minimum number of accessible changing rooms should be provided depending on the type and use of the building.

In the event that changing rooms are provided alongside a toilet area, these should comply with the specifications as per NBC in force.

A fixed bench should be set at a height of 450 mm to 480 mm above floor level. The bench should be no less than 500 mm wide, $2\,000 \text{ mm}$ in length, and be provided with a grab bar at a height of 700 mm to 800 mm with a clearance of between 50 mm and 65 mm from the wall.

A clear space of 1 500 mm \times 1 500 mm shall be left beside the bench.

Coat hooks should be set at different heights, 800 mm to 1000 mm, and additionally at least one hook at 1 400 mm.

Coat hooks, benches, locker handles and other furnishings should offer good colour and tonal contrast to their backgrounds. Non-slip floor surfaces should be used, and good lighting as well as matte finished surfaces and furnishings should be provided.

An alarm/call bell/switch shall be provided as per NBC in force.

Changing rooms shall have a minimum area of 4 sq.m.

11.13.3. Viewing Spaces In Assembly Areas :Floor Area

The floor area for a wheelchair viewing space shall be connected to an accessible path of travel and shall meet the following requirements:

- a) It shall be at least $900 \text{ mm} \times 1400 \text{ mm}$;
- b) The depth of the row shall be minimum 2400 mm;
- c) It shall have clear and level surface;
- d) It shall have sufficient manoeuvring space;
- e) Spaces for several wheelchair users shall be provided. They shall be located beside regular seating rows, for the wheelchair user to be able to stay by his/her accompanying person, if relevant; and

		f) It is recommended that the armrest on the seats at the end of the row (aisle seats) lift up to allow wheelchair users to transfer from the wheelchair onto a seat.
		Some seats should be provided with foldable armrests, considering transferences; some other seats should be wider, considering larger size people.
41	Index Of Forms	Index of Forms
	(Existing in Annexure B)	(Modified in Annexure B)
	COMMON APPLICATION I	FORM AND DECLARATION PROFORMA
42		Insertion-
		The Latent Defects Liability shall be taken as per sub-clause 2.10 of UBBL 2016.
43		Encl:
		(4) a. Tentative Date of Start of Work.
		b. Tentative Date of Completion of Work.
		(5) a. For Existing Connection of DJB: Connection Number.
		b. For Fresh Connection from DJB: Apply on COCCRF of Online Building Permit System.
		(6) Services Plan, as applicable (Chapter 9, sub-clause 9.4.6)
44		Note:
		ii) There is no requirement of submission of Notice of Commencement of Work to the concerned office/s of Sanctioning Authority.
45		DECLARATION PROFORMA
		CERTIFICATE OF APPOINTMENT OF PROFESSIONALS
		5) That in respect of Public buildings, infrastructure etc., all the prescribed barrier free movement and accessibility features as prescribed in UBBL 2016 -Chapter 11 -Provisions for Universal Design for Persons with Disabilities, Elderly and Children have been incorporated in the Building plan/s.
		FORM- D-1
		M-COMPLETION CERTIFICATE/
		-CUM-COMPLETION CERTIFICATE
46	With reference to your notice of completion dated, I hereby certify that the building as per description below and certified plans of whose LOP & Bldg. plans were sanctioned vide letter Nodated and completion certificate as approved by DUAC/DFS and other statutory bodies, the NOC has been approved on The site has been inspected with reference to Building Bye-Laws, MPD provisions, hygienic and sanitary conditions inside and in the surroundings and is declared fit for occupation.	With reference to your notice of completion dated, it is certified that the building as per description below and certified plans of whose LOP & Bldg. plans were sanctioned vide letter Nodated and NOC for completion certificate as approved by DUAC/DFS and other statutory bodies, the OCC/Part OCC has been approved on as per the site inspection report with reference to Building Bye-Laws, MPD provisions, hygienic and sanitary conditions inside and in the surroundings and is declared fit for occupation.
	Form B1	Form B1
47		
47	GRANT/ REFUSAL OF SANCTION	GRANT/ REFUSAL OF SANCTION

48	Sanction U/S 12 of the Delhi Development Act 1957	Sanction under Section 12 and Section 13 of the Delhi Development Act 1957
49	2. The construction will be undertaken as per sanctioned plan only and no deviation from the bye-laws will be permitted without prior sanction. Any deviation done against the bye-laws is liable to be demolished and the supervising Architect, engaged on the job will run the risk of having his license cancelled.	It will be duty of the owner of the plot and the Architect preparing the plan to ensure that the sanctioned plans are constructed as per prevalent building bye-laws.
50	3. Violation of building bye-laws will not be compounded.	3. All the provisions of the UBBL 2016 shall have to be followed. Violation of building bye-laws will not be compounded.
51	4. It will be duty of the owner of the plot and the Architect preparing the plan to ensure that the sanctioned plans are as per prevalent building bye-laws. If any infringement of the bye-laws remain unnoticed the DDA reserves the right to amend the plans as and when the infringement comes to its notice and DDA will stand indemnified against any claim on this account.	4.The construction will be undertaken as per sanctioned plan only and no deviation from the bye-laws will be permitted without prior sanction. Any deviation done against the bye-laws is liable to be demolished and the sanctioned plan may be revoked. The Architect, Engineer, Supervisor engaged on the job will run the risk of having his/her license cancelled. In case of rectification, the same shall have to be done at the cost of the owner and the sanctioning authority shall stand indemnified against any claim on this account.
52	8. The party will convert the house into dwelling units of each floor as per the approved parameters of the project and shall use the premise only for residential the purpose.	8. The party shall construct the premise only the purpose for which the sanction has been granted.
53	9. The building shall not be constructed within minimum mandatory distance as specified in Indian Electricity Rules and as per the requirement of Delhi Vidut Board power distributor from the voltage lines running on any side of the site.	9. The building shall not be constructed within minimum mandatory distance as specified in Indian Electricity Rules and as per the requirement of power distributor from the voltage lines running on any side of the site.
54	11. The thickness of outer walls will be maintained at least 0.23 mt. (9").	11. The thickness of outer walls will be maintained as per sanctioned plan.
55	12. The basic levels should be got ascertained from the concerned at the site of the construction.	12. The basic levels should be got ascertained from the concerned Official/Authority at the site of the construction.
	16. It will be ensured by the owner and the Architect that during the construction, the building plans sanctioned shall satisfy all the Environmental Conditions for Buildings and Constructions of Chapter 3, Annexure XIV of these Bye laws and as amended from time to time or any specific orders issued by the Govt.	16. It will be ensured by the owner and the Architect that during the construction, the building plans sanctioned shall satisfy all the Environmental Conditions for Buildings and Constructions of Chapter 3, Appendix XIV of these Bye laws and as amended from time to time or any specific orders issued by the Govt. or Court/s.
56		Note:
		Copy for information and necessary action by:
		i. Delhi Jal Board.
		ii. Labour Department
		iii. Chief Inspector of Factories
		iv. Other external agencies (if applicable) as per rules.

	COMMON OCCUPANC	Y-CUM-COMPLETION REQUEST FORM		
57		iv.		
		a. For Existing Connection of DJB : Connection Number.		
		b. For Fresh Connection from DJB: Apply Online.		
		ANNEXURE –I		
58	Annexure –I	Annexure –I		
	Qualification of Competence of professionals	Qualification of Competence of professionals (modification)		
	b. Engineer: The minimum qualifications for an engineer shall be graduate in civil engineering/ architectural engineering of recognized Indian or foreign university, which qualifies him/her for the corporate membership of Institution of Engineers(India); and the membership of Institution of Engineers(India) or any other statutory body governing such profession, if any.	b. Engineer: The minimum qualifications for an engineer shall be graduate in civil engineering/ architectural engineering of recognized Indian or foreign university, which qualifies him/her for the corporate membership of Institution of Engineers(India); and the membership of Institution of Engineers(India) or any other statutory body governing such profession, if any with minimum 2 years of experience.		
59	d. Supervisor: The minimum qualifications for a supervisor shall be diploma in civil engineering or architectural assistantship, or the qualification in architecture or engineering equivalent to the minimum qualification prescribed for recruitment to non-gazetted services by the Government of India plus 5 years' experience in building design, construction and supervision.	d. Supervisor: The minimum qualifications for a supervisor shall be diploma in civil engineering or architectural assistantship with minimum 5 years of experience, in building design/construction, construction management and supervision.		
		ANNEXURE -III		
60	Fees and Charges	Fees and Charges		
	a. Building Permit Fee:	a. Building Permit Fee:		
	 i. Building Permit fee for Sanction/Revised Sanction/ Completion/ Regulerisation all buildings shall be calculated at the rate of Rs.10/- per sq.m of covered area(including basement floor, stilt floor) 	 i. Building Permit fee for Sanction/Revised Sanction/ Completion/ Regulerisation all buildings shall be calculated at the rate of Rs.10/- per sq.m of Built Up Area(including basement floor, stilt floor). In case of Storage building/Warehouses/ Godowns, the fee shall be calculated at the rate of Rs.2/- per sq.m of Built Up 		
		Area (including basement floor, stilt floor).		
	iv. Fee for layout/land sub-division/approval shall be calculated	iv. Fee for layout/land sub-division/approval shall be calculated		
	@ Rs.10, 000/- per acre and same for the part	@ Rs.10, 000/- per acre and same for the part thereof.		
	thereof.	(@ Rs. 1,000/-In case of Storage building/Warehouses/Godowns)		
61	b. Stacking Charges	b. Stacking Charges		
	i) Rs. 20/- per sq.m of proposed covered Area including basement and stilts.	i) Rs. 20/- per sq.m of proposed Built Up Area including basement and stilts.		
	ii) Rs. 50/- per sq.m of proposed covered Plots size above 100-2000 sq.m	ii) Rs. 50/- per sq.m of Plots size above 100-2000 proposed Built Up area sq.m		

	area including basement and stilts.		including basement and stilts.	
			iii) Rs. 5/per sqm of proposed Built Up Area including basement and stilts.	Storage Building/ Warehouses/ Godowns
	iii) For plots above 2000 will be stacked inside the		iv) For plots above 2000 sq.r inside the plot area.	n, the material will be stacked
62	2.1.1 Peripheral charges are to be paid by plot of House Building Society G such services by the DDA of Hon'ble Court orders a order No. 80 dated. 12.06 plot area at the time of plans. Also, individual plan undertaking in the p deposition of peripheral cl submission of Building Plan	wner of Co-operative roup IV for laying of A @ Rs. 70/-(in view and consequent office 5.03) per sq.m of net sanction of building ot owner will submit rescribed format for harges, at the time of	plot owner of Co-operative Hofor laying of such services by Hon'ble Court orders and consecutive 12.06.03) per sq.m of net plot building plans. Also, individual undertaking in the prescribe	ripheral charges are to be paid by ouse Building Society Group IV the DDA @ Rs. 70/-(in view of equent office order No. 80 dated. area at the time of sanction of the plot owner will submit an ed format for deposition of of submission of Building Plans.
			ANNEXURE -X	
63	direct energy con convert solar ra energy. Roof of other exposed are	ic (PV) systems are aversion systems that diation into electric buildings as well as as such as of parking stalled with solar PV	electric energy. Roof of buildings as well as of exposed areas such as of parking sh vertical/inclined walls, windows can be installed solar PV system.	
64			5.Minimum area required for photovoltaic Panels. (Annexure C)	installation of Solar

Annexure A

Table 11.1: Minimum Specifications for Ramps

Level difference	Minimum gradient of Ramp	Ramp Width	Handrail on both sides	Comments
≥ 150 mm ≤ 300 mm	1:12	1200 mm	V	
≥ 300 mm ≤ 750 mm	1:12	1500 mm	√	Landings every 5 meters of ramp run.
≥ 750 mm ≤ 3000mm	1:15	1800 mm	√	Landings every 9 meters of ramp run.
≥ 3000 mm	1:20	1800 mm	\checkmark	Landings every 9 meters of ramp run.

Annexure B

Index of Forms: Existing

Form No.	Title	Signatory
A-1	Application To Erect, Re-Erect, Demolish, or To Make Material Alteration in a Building as per Design and Specifications	Owner
A-2	Certificate of Appointment of Professionals (Architect/	(i) Architect/Engineer*
	Engineer*/ Structural Engineer/ Supervisor)	(ii) Structural Engineer
		(iii) Supervisor
		(iv) Owner
A-3	Application for Request of Bulk Characteristics For Development on Specific Plot	Owner
A-4	Certificate of Structural Safety	(i) Structural Engineer
		(ii) Owner
A-5	Certificate for Incorporation of	(i) Architect/ Engineer
	Green Building Features	(ii) Owner
A-6	Certificate for Supervision, No Nuisance and Debris	(i) Owner
	Removal	(ii) Supervisor
A-7	Indemnity Bond for Basement	Owner
B-1	Grant/ Refusal of Sanction	Authority/Concerned Local Body
B-2	Grant/ Refusal of Revalidation	Authority/Concerned Local Body
C-1	Intimation of Completion Of Work Up To Plinth Level	Architect/Engineer/Supervisor
C-2	Inspection Report Up To Plinth Level By The Office of The Competent Authority	Authority/Concerned Local Body
D-1	Intimation Of Building Completion	(i) Owner
		(ii) Structural Engineer
		(iii) Architect/Engineer
		(iv) Supervisor
D-2	Certificate for Completion of Drainage Work	Engineer/Supervisor
D-3	Completion Cum Occupancy Certificate	Authority/Concerned Local Body
D-4	Rejection Of Compliance In Respect of Occupancy Certificate	Authority/Concerned Local Body
D-5	Regulersation Certificate	Authority/Concerned Local Body

Index of Forms: Amended

INDEX OF FORMS				
Form	Title	Signatory (Digital Signature of)		
COMMON APPLICATION FORM	Application To Erect, Re-Erect, Demolish, or To Make Material Alteration in a Building as per Design and Specifications.	(i) Architect/ Engineer/ Supervisor (Responsible for Architectural Design) (ii) Structural Engineer (Responsible for Structural Design)		

By The Office of The Sanctioning Authority for Moderate and High risk buildings/by the Architect/Engineer/Supervisor for Very Low and Low Risk buildings COMMON OCCUPANCY-CUM- COMPLETION REQUEST FORM Risk category Architect/Engineer/Supervisor for Very Architect/Engineer/Supervisor (i) Architect/ Engineer/ Supervisor (Responsion for Architectural Design) (ii) Structural Engineer (Responsible for Structural Design)		Certificate of Appointment of Professionals (Architect/ Engineer/ Structural Engineer/Supervisor) Certificate of Structural Safety. Certificate for Supervision, No Nuisance and Debris Removal Indemnity for Basement.	(iii) Supervisor (Responsible for supervision of the construction) (iv) Owner
C-1 Intimation of completion of work up to plinth level for moderate and high risk buildings C-2 Inspection Report Up To Plinth Level By The Office of The Sanctioning Authority for Moderate and High risk buildings/by the Architect/Engineer/Supervisor for Very Low and Low Risk buildings COMMON OCCUPANCY-CUM-COMPLETION REQUEST FORM Certificate of Structural Safety Intimation of Building Completion Occupancy Formation (ii) Structural Engineer (Responsible for Structural Design) (iii) Supervisor (Responsible for supervision the construction)	-1	Grant/ Refusal of Sanction	Sanctioning Authority
Declaration Proforma Certificate of Structural Safety Sanctioning Authority for Moderate and High risk buildings Sanctioning Authority for Moderate and High risk buildings/by the Architect/Engineer/Supervisor for Very Low and Low Risk buildings Architect/Engineer/Supervisor for Very Low and Low Risk category Architect/Engineer/Supervisor for Very Low and Low Risk category COMMON OCCUPANCY-CUM-COMPLETION REQUEST FORM Declaration Proforma Certificate of Structural Safety Certificate	-2	Grant/ Refusal of Revalidation	Sanctioning Authority
C-2 Inspection Report Up To Plinth Level By The Office of The Sanctioning Authority for Moderate and High risk buildings/by the Architect/Engineer/Supervisor for Very Low and Low Risk buildings COMMON OCCUPANCY-CUM- COMPLETION REQUEST FORM Declaration Proforma Certificate of Structural Safety Sanctioning Authority for Moderate and H Risk category Architect/Engineer/Supervisor for Very Architect/Engineer/Supervisor for Very Low and Low Risk category (i) Architect/ Engineer/ Supervisor (Responsible for Structural Design) (ii) Structural Engineer (Responsible for Structural Design) (iii) Supervisor (Responsible for supervision the construction)	-1	Intimation of completion of work up to	Architect/Engineer/Supervisor
By The Office of The Sanctioning Authority for Moderate and High risk buildings/by the Architect/Engineer/Supervisor for Very Low and Low Risk buildings COMMON OCCUPANCY-CUM- COMPLETION REQUEST FORM By The Office of The Sanctioning Authority for Moderate and High risk buildings/by the Architect/Engineer/Supervisor for Very Low and Low Risk category (i) Architect/ Engineer/ Supervisor (Responsion for Architectural Design) (ii) Structural Engineer (Responsible for Structural Design) (iii) Supervisor (Responsible for supervision the construction)			& Owner
OCCUPANCY-CUM- COMPLETION REQUEST FORM Declaration Proforma Certificate of Structural Safety for Architectural Design) (ii) Structural Engineer (Responsible for Structural Design) (iii) Supervisor (Responsible for supervision the construction)	-2	By The Office of The Sanctioning Authority for Moderate and High risk buildings/by the Architect/Engineer/Supervisor for Very	Architect/Engineer/Supervisor
REQUEST FORM Certificate of Structural Safety (ii) Structural Engineer (Responsible for Structural Design) (iii) Supervisor (Responsible for supervision the construction)		Intimation Of Building Completion	(i) Architect/ Engineer/ Supervisor (Responsible for Architectural Design)
(iii) Supervisor (Responsible for supervision the construction)			
(iv) Owner			,
			(iv) Owner
D-1 Occupancy-cum-Completion Sanctioning Authority Certificate/	-1		Sanctioning Authority
Part Occupancy-cum-Completion Certificate			
D-2 Rejection of Compliance In Respect of Occupancy Certificate Sanctioning Authority	-2	Rejection of Compliance In Respect of Occupancy Certificate	Sanctioning Authority
D-3 Regulersation Certificate Sanctioning Authority	1-3	Regulersation Certificate	Sanctioning Authority

Annexure C (to be inserted in Annexure X of UBBL 2016)

S. No.	Building category	Plot area/ Ground Coverage	l	Capacity of SPV plant (in kilo watt peak)		f Terrace ed in % &
1.		105 -250 Sqm.	75%	1 KW p(spv)	20%	15 Sqm.
	Residential	250 -500 Sqm.		2 KW p (spv)	20%	30 Sqm.
		500-1000 Sqm.		3 KW p (spv)	20%	45 Sqm.
		1000-3000 Sqm.	50%	5 KW p (spv)	15%	75 Sqm.

		> 3000 Sqm.		10 KW p (spv)	15%	150 Sqm.
			<u> </u>	1		
2.		500-1000 Sqm.		5 KW p (spv)	35%	75 Sqm.
	Institutional	1000-3000 Sqm.	30%	10 KW p (spv)	35%	150 Sqm.
		>3000 Sqm.		20 KW p (spv)	35%	300 Sqm.
3.		500-1000 Sqm.		5 KW p (spv)	30%	75 Sqm.
	Government Buildings	1000-3000 Sqm.	50%	10 KW p (spv)	15%	150 Sqm.
		>3000 Sqm.		20 KW p (spv)	20%	300 Sqm.
4.		500-1000 Sqm.		5 KW p (spv)	40%	150 Sqm
	Commercial	1000-3000 Sqm.	50%	20 KW p (spv)	30%	300 Sqm
		>3000-5000 Sqm.		30 KW p (spv)	25%	450 Sqm
		> 5000 Sqm.		50 KW p (spv)	30%	750 Sqm.
						_
5.		2000-5000 Sqm.		10 KW p (spv)	20%	150 Sqm.
		5000-10,000 Sqm.	33.3	20 KW p (spv)	15%	300 Sqm.
	Group Hosing	10,000-20,000 sqm.	70	50 KW p (spv)	25%	750 Sqm.
		>20,000 Sqm.		100 KW p (spv)	25%	1500Sqm
				•		
6.		Up to 400 Sqm.	60%	3 KW p	25%	45 Sqm
		401-2000 Sqm.		5 KW p	30%	75 Sqm
	Industrial	2000-5000 Sqm	50%	10 KW p	30%	150 Sqm
		>5000 Sqm.		50 KW p +5 KW/1000 Sqm. or part thereof	30%	750 Sqm

[No. F.15(06)2016/MP/Pt.]

D. SARKAR, Commissioner-cum-Secy.